लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

5th Lok Sabha

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

[खंड 57 में अंक 21 से 22 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 21 to 22]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

संख्या 22, शुक्रवार, 6 फरवरी, 1976/17 माघ, 1897 (शक)

No. 22, Friday, February 6, 1976/Magha 17, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference . . .	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1—3
अंगोला के बारे में वक्तव्य—	Statement on Angola—	
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	3—4
विधेयक वापस लिये गये—	Bills withdrawn—	
(एक) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1975	(*i*) High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1975 .	5
(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1975	(*ii*) Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1975 .	5
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(एक) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976	(*i*) High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill,	
(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976	(*ii*) Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1976 .	6—7
(तीन) पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	(*iii*) High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Ranchi) Bill	7
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter Under Rule 377—	
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते का दिया जाना	Grant of additional Dearness Allowance to Central Government Employees and Pensioners	7—8

विषय	SUBJECT	PAGES
गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा—	Discussion re. Price of Sugarcane—	
श्री शाहनवाज़ खां	Shri Shahnawaz Khan . . .	9—13
नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक—	Urban Land (Ceiling and Regulation) Bill—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider Amendments made by Rajya Sabha—	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah . . .	14—30
खण्ड 2, 4, 7, 15, 22, 27, 38 और अनुसूची 1 में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन	Amendments by Rajya Sabha to Clauses 2, 4, 7, 15, 22, 27, 38 and schedule 1	30—34
संशोधनों को सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव	Motion to agree to the Amendments	34
खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक—	Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
डा० करण सिंह	Dr. Karan Singh	35-36, 45—48
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy . . .	36-37
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	37-38
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan . .	38
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	38-39
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira . .	39-40
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	40
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . .	40
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	40-41
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . .	41
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	41
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	41-42
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . . .	42
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo . .	42-43
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	43

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	43
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani	43
डा० कैलास	Dr. Kailas	44
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	44
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	44
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	44
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	45
खण्ड 2 से 22 और 1	Clauses 2 to 22 and 1	48—53
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion —	
श्री कृष्ण चन्द हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	53—54
श्री पी० गंगा देब	Shri P. Ganga Deb	54
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	54
डा० कैलास	Dr. Kailas	54
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	54—55

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 6 फरवरी, 1976/17 माघ, 1897 (शक)

Friday, February 6, 1976/Magha 17, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री शंकर गौड़ वीरनगौड़ पाटिल, के दुखद निधन की सूचना देनी है । उनकी मृत्यु 65 वर्ष की आयु में 2 फरवरी, 1976 को मीरज में हो गयी ।

श्री पाटिल भूतपूर्व बम्बई राज्य के बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से 1952–57 के दौरान पहली लोकसभा के सदस्य थे । प्रसिद्ध वकील तथा समाज सेवक होने के नाते उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बहुत रुचि ली । वे बेलगांम जिले की अनेक सहकारी तथा अन्य कल्याणकारी संस्थाओं से सम्बद्ध थे ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना भेजने में सभा मेरा साथ देगी ।

सभा के सदस्य शोक प्रकट करने के लिये कुछ देर मौन खड़े हों ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The Members then Stood in Silence for a short while.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय पुलिस सेवा नियम, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अखिल भारतीय सेवायें नियम 1976

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मुहसिन) : मैं श्री ओम मेहता की ओर से अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 29 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 50 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 29 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 51(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 60(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 61(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) शोधन नियम, 1976 जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 128 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। (देखिये) संख्या एल० टी० 10340/76]

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चौथा तथा पाँचवाँ संशोधन) नियम, 1976

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं —

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 19 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 28(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 19 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 29(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये) संख्या एल० टी० 10341/76]

माईल कोलियरी, बिहार के सामने हुई दुर्घटना के बारे में जाँच अदालत का प्रतिवेदन

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): मैं श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी की ओर से जिला गिरिडीह (बिहार) में माईल कोलियरी के सामने कोयला खनन कार्य करते समय हुई दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों के बारे में जांच अदालत के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये) संख्या एल० टी० 10342/76]

दिल्ली भू-वृति (अधिकतम सीमा) (संशोधन) नियम, 1976

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): मैं दिल्ली भू-धृति (अधिनियम सीमा) अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली भू-धृति (अधिकतम सीमा) (संशोधन) नियम, 1976 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 14 जनवरी, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 11 (12)/एस० के०/सी/76 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये) संख्या एल० टी० 10343/76]

औषध और सौन्दर्य प्रसाधन (पहला संशोधन) नियम, 1976

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): मैं औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध और सौंदर्य प्रसाधन (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 139 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। (देखिये) संख्या एल० टी० 10344/76]

शाहदरा में 19 से 22 अगस्त, 1972 को हुये दंगों के बारे में जाँच आयोग का प्रतिवेदन तथा बिहार में के मकानों के जलाये जाने तथा उनकी हत्यायें किय जाने के समाचार सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी दी गयी सूचना में शुद्धि करने वाला विवरण

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) शाहदरा में अगस्त, 19—22, 1972 में हुए दंगों के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन।

(2) बिहार के नवादा जिले में हरिजनों के 60 मकानों के जलाये जाने तथा उनके तीन बच्चों की हत्या किये जाने के समाचार सम्बन्धी ध्यानआकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 15 अप्रैल, 1975 को उनके द्वारा दी गई कतिपय सूचना में शुद्धि करने वाले एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। (देखिये) सख्या एल० टी० 10345/76]

अंगोला के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON ANGOLA

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जैसा कि सदन को ज्ञात है सरकार ने अफ्रीका मे उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष को बराबर पूर्ण समर्थन दिया है। अफ्रीकी एकता संगठन

के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति रही है जिसने स्वतन्त्रता के संघर्ष में महाद्वीप की एकता और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया है। सदन को ज्ञात होगा कि अफ्रीकी एकता संगठन ने अंगोला के तीनों मुक्ति आन्दोलनों—एम०पी०एल०ए० (अंगोला मुक्ति का जन आन्दोलन) एफ०एन०एल०ए० (अंगोला मुक्ति का राष्ट्रीय मंच) तथा यू०एन०आई०टी०ए० (अंगोला की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय एकता) को मान्यता दी थी। मुक्ति आन्दोलनों के तीव्र होने पर तथा पुर्तगाली शासन में परिवर्तन के बाद अफ्रीकी एकता संगठन तथा अफ्रीकी नेताओं ने इन तीनों मुक्ति आन्दोलनों के बीच मेल मिलाप का प्रयास किया। जब पुर्तगाल ने इस देश के अपने आधिपत्य को समाप्त करने का निर्णय लिया तब भारत सरकार ने शीघ्र ही अंगोला की स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान की तथा अंगोला की जनता के अपने देश की प्रादेशिक अखण्डता को सुरक्षित रखने के निश्चय का स्वागत किया। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीकी की जातिवादी सरकार द्वारा अंगोला की प्रादेशिक अखण्डता के अवैध उल्लंघन की भी स्पष्ट निन्दा की।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, अंगोला की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए जनवरी, 1976 में अफ्रीकी एकता संगठन की एक उच्च स्तरीय असाधारण बैठक हुई थी। कई दिनों के गहन विचार विमर्श के बाद भी अफ्रीकी एकता संगठन के सदस्य राज्य दो बराबर पक्षों में विभक्त रहे—एक पक्ष में वे देश थे जो एम०पी०एल०ए० सरकार को मान्यता प्रदान करने के समर्थक थे और दूसरे में वे जो युद्ध विराम और मान्य मुक्ति आन्दोलनों के बीच मेल मिलाप कराना चाहते थे। तब से तीन और अफ्रीकी देशों—इथोपिया, सियरा लियोन तथा टोगो ने लुआण्डा स्थित एम०पी०एल०ए० सरकार को मान्यता प्रदान कर दी है जिससे अफ्रीकी एकता संगठन के 46 सदस्य राज्यों के स्पष्ट बहुमत का प्रतिनिधित्व होता है। लगता है कि अंगोला की अखण्डता तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करने तथा दक्षिण अफ्रीका के सशस्त्र अनधिकार प्रवेश के विरुद्ध लड़ने के लिए केवल एम०पी०एल०ए० सरकार ही प्रतिबद्ध है।

समग्र रूप से इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति एवं स्वतन्त्रता सेनानी डा० अगोस्टीन्हो नेटो के नेतृत्व की एम०पी०एल०ए० सरकार को मान्यता देने का निश्चय किया है। प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति नेटो को आज स्वागत एवं बधाई सन्देश भेजा है जिसमें अफ्रीका और भारत की सरकारों और जनता के बीच स्थायी मैत्री को सुदृढ़ बनाने के लिए किये जाने वाले समान कार्यों में और न्यायोचित एवं शांतिमय विश्व व्यवस्था के लिए संघर्ष जारी रखने में सहयोग देते रहने का वचन दिया है। हम अंगोला की जनता द्वारा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़े गए वीरतापूर्ण स्वतन्त्रता संग्राम की बहुत सराहना करते हैं और अंगोला की स्वतन्त्रता पर हम भी आनन्दित हैं। हमें विश्वास है कि अपनी घोषित नीति के अनुसार एम० पी० एल० ए० की सरकार गुटनिरपेक्ष देशों में भाई चारे की भावना को सुदृढ़ बनाने में सहयोग देगी और राष्ट्रों के बीच समानता और सहयोग पर आधारित विश्व का निर्माण करने में सहायता देगी।

मुझे विश्वास है कि सदन मेरे साथ यह कामना करेगा कि अंगोला में रक्तपात और झगड़े शीघ्र ही समाप्त हो जायें ताकि अंगोला की सरकार और जनता राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में स्वयं को पूरी तरह लगा सकेगी तथा अफ्रीका में जातिवाद और अल्पसंख्यक शासनों के खिलाफ लड़ सकेगी और इन राष्ट्रों के समुदाय के समाने आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दे सकेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम सब इस साहसी कदम के लिये प्रधान मन्त्री को बधाई देते हैं।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1975

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 1975

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच०आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एच०आर० गोखले : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1975

SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 1975.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जायें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 1976

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

श्री **एस०एम० बनर्जी** (कानपुर) : इस विधेयक का विरोध करने का उद्देश्य अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को कम करना नहीं है। मेरी मुख्य आपत्ति यह है : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कहा गया है कि वे और अधिक वेतन और भत्ते की मांग न करें। न्यायाधीश पहले ही बहुत अधिक वेतन, भत्ते तथा सुविधायें ले रहे हैं। मैं इन बातों के विरुद्ध नहीं हूं। मैं तो केवल भेदभाव का विरोध करता हूं। मैंने इस सदन में 30 अथवा 40 रुपये प्रतिमास पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन-भोगियों की पेंशन में वृद्धि करने तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की छठी किस्त देने की मांग की तो श्रीमती सुशीला रोहतगी ने बताया कि इन सब मांगों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही न्यायाधीशों के भत्ते तथा सुविधायें दी जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप गुणदोष की बात न करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरी आपत्ति भेदभाव के बारे में है। न्यायाधीशों को इस प्रकार के भत्ते तथा सुविधायें देते हुये गरीब पेंशनभोगियों तथा सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार किया जाये।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने सचमुच विधेयक का विरोध नहीं किया है। संविधान के लागू होने के बाद न्यायाधीशों के वेतनों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह पहली बार इन्हें कुछ सुविधायें देने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976
SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 1976

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि **उच्चतम** न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले **विधेयक को** पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

पटना उच्च न्यायालय (राँची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक।

HIGH COURT AT PATNA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BRANCH AT RANCHI) BILL.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रांची में पटना उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रांची में पटना उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते का दिया जाना

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका तथा उप-वित्त मन्त्री का ध्यान महंगाई भत्ते की छठी किश्त की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री ने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में छठी किश्त देना स्वीकार किया था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि छठी किश्त का भुगतान किया जाए।

पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के भुगतान के बारे में बिना विलम्ब के अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिए। उनकी हालत अत्यन्त शोचनीय है।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने यह वायदा किया था कि पेंशनभोगियों पर भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लागू होगी। उनको चिकित्सा लाभ दिये जाने चाहिए।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैंने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान यह बताया था कि ये दोनों मामले सरकार के विचाराधीन है।

हम पेंशनभोगियों की दशा तथा कठिनाइयों से अवगत हैं। संसाधनों को जुटाने का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस पर विचार करना आवश्यक है। सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मन्त्री महोदय जानते हैं कि मैंने उनको एक अभ्यावेदन दिया था। कलकत्ता में उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत प्रपत्र विभाग का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। इससे सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ रही है। आज सत्र का अन्तिम दिन है। मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

कलकत्ता के निकट एक पटसन मिल से हमें एक तार प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि वहां मजदूरों की छटनी हो रही है जिससे जबरी छुट्टी करने की आशंका पैदा हो गई है। सशस्त्र पुलिस मिल में तैनात है। आप कृपया ये तथ्य मन्त्री महोदय तक पहुंचा दें।

श्री शंकर मुखर्जी (हावड़ी) : कल ही मुझे एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा आयोग के 50 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। यह बिल्कुल गैर-कानूनी है। इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए।

श्री बी० एन० रेड्डी (निरयालगूडा) : आंध्र प्रदेश में कृषि उत्पादों के मूल्य आधे हो गए हैं जिससे किसानों को काफी कठिनाई हो रही है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और लाभकारी मूल्य निर्धारित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलें।

कांग्रेस दल की ओर से कुछ व्यक्ति राजनीतिक हत्याएं करने के लिए उकसा रहे हैं यह बात केन्द्रीय सरकार तथा गृह मन्त्रालय के ध्यान में लाई गई है। मार्क्सवादियों के विरुद्ध आंसुका का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सभी वारण्ट वापिस ले तथा नेताओं को रिहा करे।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The price of sugar-cane in Uttar Pradesh has been fixed at Rs. 12·15. It should be fixed at Rs. 1800 per quintal. It is also learnt that a cabinet rank Minister of the Centre has pressurised the Chief Minister of U.P. not to fill a higher price. Therefore, I seek the intervention of the Government. We would like to know whether the price has been fixed under pressure?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shanawaj Khan) : It has not been fixed under pressure.

Shri R. P. Yadav (Madha Pura): It has been alleged by Shri Ramavatar Shastri that mill owner is related to the Chief Minister and low price has been fixed under pressure. I want to refute this allegation; which is totally baseless. We too want that farmers should get a remunerative price for sugar cane.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): A news appeared in all papers of Bihar on 3rd February that the Sugar mills of Motihari, Sugauli, Champaran and Muzaffarpur have not yet cleared the arrears of sugar-cane price due to the farmers which is worth crores of rupees. If these arrears are not cleared the production of sugar-cane would be adversely affected. What do the Government propose to do in this regard?..

Shri Ramavatar Shastri (Patna): On the 25th January a Harijan P.W.D. worker was brutally murdered when some landlords raided the house of Harijans and Muslims of village Maulana Buddhu Chak. It is surprising that the culprits have been released on bail. They are now terrorising the Harijans. Government should see that these miscreants are arrested under MISA and put behind the bars.

अध्यक्ष महोदय : हरिजनों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में मुझे इस सत्र के दौरान कई शिकायतें मिली हैं। मैंने ये सब शिकायतें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी समिति को भेज दी हैं। यदि आवश्यक हुआ तो संसदीय समिति सदन को प्रतिवेदन देगी (**व्यवधान**)

गन्ने के मूल्य के बारे में चर्चा

DISCUSSION ON SUGARCANE PRICE

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : सदस्यों का यह कहना संगत है कि किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है। अतः सरकार को इनकी चिन्ता है। सरकार किसानों का पूरा समर्थन करती हैं क्योंकि वे देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकार का प्रयत्न है कि किसानों को आवश्यक कृषि उपकरण और बैंकों से ऋण सुविधाएं आदि मिलें। सरकार तथा कृषक वर्ग के सहयोग से देश उत्पादन के मामले में प्रगति कर रहा है।

हमारी रबी और खरीफ़ की फ़सलें अच्छी रहीं हैं। आगामी रबी फ़सल के आसार भी अच्छे हैं। इसके लिए किसान वर्ग बधाई के पात्र हैं। सरकार का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जब उत्पादन अधिक हो, किसानों को लाभकारी मूल्य ही मिलें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति को क्रियान्वित कर रही है।

गन्ना तथा चीनी देश के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान तथा उद्योग बधाई के पात्र हैं। चीनी का निर्यात भी बढ़ रहा है। राज्य व्यापार निगम के पास 13 लाख टन चीनी निर्यात के लिए पड़ी है। चीनी के निर्यात से लगभग 450 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। अन्य खाद्यान्नों की भांति सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य भी निर्धारित करती है। मूल्य निर्धारित करते समय सरकार कई पहलुओं पर विचार करती है। सबसे पहला पहलू उत्पादन लागत, दूसरा पहलू दूसरी फ़सल से उत्पादकों को होना वाला लाभ है।

श्री हरि किशोर सिंह (पुरी) : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के क्या आधार हैं। प्रति क्विंटल गन्ने की वास्तविक उत्पादन लागत कितनी है ?

श्री शाहनवाज़ खां : उत्पादन लागत विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की किस्म तथा सिंचाई सुविधाओं के आधार पर निर्धारित होती है।

श्री हरि किशोर सिंह : पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दक्षिण के राज्यों में उत्पादन लागत कितनी है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दें । आप प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The hon. Minister has just now stated that the Government consult all the State Governments while fixing the sugarcane price. I would like to know whether Bihar Government has been Consulted and if so, the price recommended by them for sugar-cane ?

श्री शाहनवाज़ खां : गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय हम चीनी उत्पादक राज्यों से राय लेते हैं। उन्हें खेती की वास्तविक लागत को ध्यान में रखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद ही वे सिफ़ारिश करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : गन्ने के मूल्य के बारे में नोटिस काफ़ी पहले दिया गया था। यदि मूल्य निर्धारित करने का कोई फ़ार्मूला नहीं है तो चर्चा करना बेकार है।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरू) : विभिन्न जोनों में मूल्य निर्धारण नौकरशाहों द्वारा किया जाता है तथा सरकार को गुमराह करने के लिए किया जाता है। मंत्री महोदय चर्चा के उत्तर को स्थगित कर दें तथा दोपहर बाद पूरे आंकड़ों सहित उत्तर दें।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : सरकार मूल्य किस प्रकार निर्धारित करती है ? सरकार ने उत्पादन लागत क्या निर्धारित की है ? यदि मंत्री महोदय यह नहीं बता सकते तो चर्चा करना ही बेकार है।

श्री शाहनवाज़ खां : सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर न्यूनतम सांविधिक समर्थन मूल्य निर्धारित करती हैं । कृषि मूल्य आयोग कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों तथा उत्पादक संघों की राय लेकर ही सिफ़ारिशें करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की भी सलाह लेती है। यह कहना कठिन नहीं है कि किसानों को न्यूनतम मूल्य ही मिलता है। मूल्य निर्धारण किसानों और मिल मालिकों के बीच तय होता है। यदि आवश्यक हो तो सरकार हस्तक्षेप करके विवाद को दूर करती है।

भार्गव फ़ार्मूले का प्रश्न भी उठाया गया है। चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा है कि यदि गन्ना उत्पादक यह सोचते हैं कि हम आंकड़ों या लेखों में गड़बड़ी कर रहे हैं तो हम खुली चीनी का 50 प्रतिशत भाग उत्पादकों के प्रतिनिधियों को देने के लिए तैयार हैं और वे उससे होने वाले लाभ को आपस में बांट सकते हैं। मेरा मंत्रालय रुचि लेने वाले सदस्यों के साथ बैठ कर भार्गव फ़ार्मूले के क्रियान्वयन का तरीका निकाल सकता है।

Shri Ganda Singh (Padrauna) : In Bihar and Uttar Pradesh, recovery was taken at 10 percent last year. Private sector mills of that region were not prepared to pay more then Rs. 11/- per quintal for sugar-cane. It was only an intervention of the Prime Minister that the price was settled at Rs. 12 and Rs. 13/-. The Co-operative mills have paid at Rs. 19/- per quintal. What action the Government is taking to ensure that the farmers in the North also get a reasonable price for their sugarcane ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं कह रहा था कि राज्य सरकारों के प्रयत्नों से मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को गन्ने का न्यूनतम मूल्य देने को तैयार हो गये थे। भार्गव फ़ार्मूले में ऐसा ढंग अपनाया गया है कि अतिरिक्त वसूली को गन्ना उत्पादकों तथा मिल मालिकों में बांटा जा सके। इस मामले पर मैं सदस्यों से बात करने को तैयार हूं।

अभी तक हम आंशिक नियंत्रण की नीति अपनाते रहे हैं। एक ओर तो सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि उपभोक्ताओं को 2.15 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी दी जाये और दूसरी ओर उत्पादकों को लाभदायक मूल्य दिलाया जाये। इन दोनों बातों में सामंजस्य करना पड़ता है।

श्री डी० डी० देसाई : गन्ने के मूल्य के बारे में बैठक के लिये आप तारीख तय करलें।

कई मिलो का दिवाला निकलने वाला है। यदि मंत्री महोदय निहित तिथि नहीं तय करते तो गन्ना उत्पादकों को हानि होगी।

श्री शाहनवाज खां : सरकार मुद्रास्फ़ीति को रोकना चाहती है। इसीलिए हमने कृषि मूल्य आयोग की न्यूनतम मूल्य को 8.5 से बढ़ा कर 9.5 करने वाली सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की। क्योंकि ऐसी स्थिति में चीनी के लैवी मूल्य को बढ़ाना पड़ता।

भारत ही एक ऐसा देश है जहां खाद्यानों में मुद्रास्फ़ीति रोकी जा सकी है।

श्री के० सूनारायण : मासूम किसानों की मदद से।

श्री शाहनवाज खां : देशभक्त किसानों ने कठिन परिश्रम करके इतना अनाज पैदा कर दिया है कि मुद्रास्फ़ीति रोकी जा सकी है। मैं यह तो दावा नहीं करता कि सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फ़ीति रोकी जा सकी है परन्तु अनाज के बारे में ऐसा सम्भव हो सका है। इस स्थिति को बनाये रखने के लिये हमारा प्रयास जारी रहेगा।

श्री नरसिंह नारायण पाँडे (गोरखपुर) : खेती के लिये आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी।

श्री शाहनवाज खां : यह सही है कि खेती के लिये आवश्यक वस्तुओं, मशीनरी तथा अन्य वस्तुओं एवं सिचाई व्ययों में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर किसान जो कुछ पैदा करता है उसके मूल्य घट रहे हैं। सही उपाय यही है कि उक्त साधनों के मूल्य भी घटाये जायें। पेट्रोलियम पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ने से उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यूरिया का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 1,000 रुपये से बढ़ा कर 3,000 रुपये कर दिया गया। देशी यूरिया के साथ जोड़ कर मूल्य 2,000 रखा गया है। जिस में 150 रुपये की और कमी की गई है।

सरकार इस बारे में सभी प्रयत्न कर रही है। 15 फ़क्ट्रियों की क्षमता का विस्तार हो रहा है तथा नई फ़ैक्ट्रियां खोली जा रही हैं।

सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उर्वरक के लिये हम तेल पर ही निर्भर नहीं करते हैं। तालचेर में कोयले पर आधारित संयंत्र का उत्पादन अगले वर्ष 2,28,000 टन किया जायेगा। मैं सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि किसानों की आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में कमी की जानी चाहिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : पिछले वर्ष उत्पादकों को गन्ने का मूल्य 14 अथवा 15 रुपए दिया गया। कृषि मूल्य आयोग ने मूल्य में 1.50 रुपये की वृद्धि की सिफ़ारिश की थी। तब भी इस वर्ष मूल्य में कमी कर दी गई। इसका औचित्य क्या है।

श्री शाहनवाज़ खां : गन्ने के मूल्य किसान द्वारा उगाई जाने वाली वैकल्पिक फ़सल पर भी निर्भर करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब और प्रश्न न किये जायें।

श्री शाहनवाज़ खां : एक सदस्य ने सहकारी फ़ैक्ट्रियों द्वारा दिये गये गन्ने के मूल्य का उल्लेख किया है। उन फ़ैक्ट्रियों में 70 प्रतिशत धन राज्य सरकार का लगा है। उन मिलों के सभी लाभ गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के रूप में बांट दिये जाते हैं। इस प्रकार सरकार आयकर से वंचित रह जाती है।

मैं माननीय सदस्यों को इस प्रश्न पर विस्तार से बातचीत करने के लिये आमंत्रित करता हूं।

मैं स्वीकार करता हूं कि गन्ने के मूल्यों की अदायगी बकाया पड़ी है।

Shri Narsingh Narain Pandey : What are the arrears for this year and the previous year ?

Shri Shah Nawaz Khan : It is about Rs. 14 crores.

राज्य सरकारों के पास बकाया राशि की वसूली के अधिकार हैं। यदि किसी राशि की अदायगी में दो सप्ताह से अधिक समय लगता है तब 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।

श्री नरसिंह नारायण पाँडे : पिछले वर्ष की बकाया राशि की वसूली किस प्रकार की जारही है ? मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकारों को भूराजस्व के समान वसूली करने के अनुदेश दिये गये हैं। उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : राज्य सरकारों को कठोर कार्यवाही करने को कह दिया गया है। कई ऐसे मामलों में तो राज्य सरकारों ने मिलों के प्रबन्ध को भी अपने हाथ में ले लिया है। यदि कोई व्यक्ति अदायगी नहीं करता तो उसकी फैक्टरी सरकार अपने अधिकार में ले लेगी।

Shri Bibhuti Mishra (Motihara) : The payment of price of sugar cane is paid after verifying the recovery. That verification is done by a chemist who belongs to the private sector. Would the Government nationalise the post of Chemist ?

What are the arrears in Bihar and how the Government would get them cleared ?

Shri N. P. Yadav (sitamarhi) : The price of urea was Rs. 55 last year where as it is Rs. 105 this year. Would the price of sugarcane be maintained in the manner it is being done.

Shri K. M. Madhukar (kesaria) : You have stated that it is for the Growers and the Millowners to settle the price. Would the Government allow the growers to launch a strike in order to compel the owners to accept their demands ?

Shri E. V. Vikhe Patil (kapargaon) : According to a report published in the newspapers Government of India have suggested to the state Governments to ensure that the price of sugar cane remains lower , than the price in previous year. Is that true ?

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : मंत्री महोदय ने किस आधार पर देशभक्ति किसानों के लिये तथा लाभ मिल मलिको के लिये रखे हैं ?

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : देश के भिन्न-भिन्न भागो में लैवी चीनी के भाव किस आधार पर तय किये जाते हैं ? आन्ध्र प्रदेश के लिये यह 180 रूपया तथा बिहार के कुछ हिस्सों के लिये 440 रुपये है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे ।

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे (सांगली) : मंत्री महोदय सहकारी मिलों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते । जो माल सरकार को निर्यात के लिये प्राप्त होगा उसे वे पूरी तरह केन्द्रीय सरकार के लिये रखना चाहते हैं ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It should be worked out as to what is the expenditure on the production of one quintal of sugar as also the share of the grower and labourer and the profit of the mills after deducting taxes.

Shri Chandra Shailani (Hathras) : When would the arrears of Rs. 14 crores representing the sugarcane price in U.P. be paid to the growers.

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर): सरकार के सभी प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी उद्योग का दिवाला क्यों निकल रहा है ?

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun): The hon. Minister has stated that Rs. 14 crores are due from sugar mills in U.P. But there are factories against whom lakhs and crores of rupees are still outstanding for the period dating as far back as 1970.

श्री इराज्मु-द-सैकरा : (मारमागोआ): सर्व प्रथम मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या चीनी के निर्यात से राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित पूरा लाभ गन्ना उत्पादकों को वितरित कर दिया जायेगा ?

क्या सरकार प्रति मास फसल के आधार पर गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के लिये फार्मूला निर्धारित करने के लिये तुरन्त एक समिति गठित करेगी ?

श्री हरी किशोर सिंह (पुपरी) : अभी अभी मंत्री महोदय ने बकाया राशि की अदायगी न करने वाली मिलों से 12 प्रतिशत ब्याज लेने की बात कही है । जब गन्ना उत्पादकों से राष्ट्रीकृत बैंक 15 प्रतिशत ब्याज लेते हैं तब मिलों से कम क्यों लिया जाता है ?

श्री बी० वी० नायक (कनारा): योजना आयोग ने राष्ट्रीयकरण के विकल्प स्वरुप सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया था क्या सरकार एक निर्धारित अवधि में यह कार्य करेगी ?

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): It has been stated in the latest report of the Agricultural Prices Commission that profits earned due to excessive export of sugar would be distributed to the mills. Will the cane-growers be not given their due share ?

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): Six years back, it was proposed by Pt. Kamlapati Tripathi that all the sugar mills in the country will be nationalised. What action has been taken in that regard so far ?

श्री शाहनवाज खां : चीनी की रिकवरी का हिसाब ठीक-ठीक जोड़ा जाता है । इसकी जांच करने की सरकार ने पूरी व्यवस्था की है । गन्ने तथा चीनी की ठीक तौल की व्यवस्था भी हमने की है ।

गन्ना उत्पादकों को लाभदायक मूल्य देने के फार्मूले पर हम विचार कर रहे हैं जिससे कि उन्हें अपनी पूंजी पर 12 प्रतिशत लाभ मिल सकें हमें यह भी ध्यान रखना है कि चीनी उद्योग को भी लाभ पहुंचे ।

बकाया राशि की अदायगी के बारे में सदस्यो द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत हूं । इस वर्ष उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कही अधिक हुआ है । इस वर्ष रिजर्व बैंक ने ऋण दी जाने वाली राशि की सीमा में 40 करोड़ की वृद्धि की है ।

निर्यात से लाभ राज्य व्यापार निगम को प्राप्त होता है । सरकार पूरे राजस्व को जनता के लाभ के लिये ही लगाती है, जिससे किसानों तथा गन्ना उत्पादकों को भी लाभ पहुंचे ।

नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक

URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची के अगले विषय पर चर्चा करेंगे । श्री रघुरामैया ।

श्री ईराज्मु-द-सैकरा (मारमागोआ): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी कुछ कहा ही नहीं । अतः व्यवस्था का प्रश्न आप कैसे उठा सकते हैं ?

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न संशोधनों के पेश करने के बारे में है । नियम संख्या 140 में यह व्यवस्था है कि संशोधित विधेयक को सभा पटल पर रखे जाने के बाद कोई भी सदस्य दो दिन का नोटिस देकर संशोधन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं । इसलिए आपकी अनुमति आवश्यक है । लेकिन इस मामले में आपकी अनुमति नहीं ली गई है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नियम है लेकिन आज सभा स्थगित हो रही है । इसलिए 2 दिन का समय नहीं दिया जा सकता । इसलिए मैंने संशोधन पेश करने की अनुमति दी है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में नगर सम्पत्ति के संकेन्द्रण को तथा उसमें सट्टे बाजी और मुनाफाखोरी को रोकने के उद्देश्य से और सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन के लिए नगर बस्ती की भूमि के सम्यपूर्ण वितरण के उद्देश्य से नगर बस्ती में रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा अधिरोपित करने का, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के अर्जन का, ऐसी भूमि पर भवनों के सन्निर्माण को विनियमित करने का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए"

खंड 2

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

(g) "land appurtenant", in relation to any building, means—

(i) in an area where there are building regulations, the minimum extent of land required under such regulations to be kept as open space for the enjoyment

of such building, which in no case shall exceed five hundred square metres; or

(*ii*) in an area where there are no building regulations, an extent of five hundred square metres contiguous to the land occupied by such building.

and includes, in the case of any building constructed before the appointed day with a dwelling unit therein, an additional extent not exceeding five hundred square metres of land, if any, continguous to the minimum extent referred to in sub-clause (i) or the extent referred to in sub-clause (ii), as the case may be;'

"(क) किसी भवन के सम्बन्ध में "अनुलग्न भूमि" से अभिप्रेत है, –

(i) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम है वहां ऐसे भवन के उपयोग के लिए खुले स्थान के रूप में रखे जाने के लिये ऐसे विनियमों के अधीन अपेक्षित भूमि का न्यूनतम विस्तार, जो किसी भी दशा में पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा ; या

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं है, वहां ऐसे भवन द्वारा अधिमुक्त भूमि से लगे पांच सौ वर्ग मीटर का विस्तार,

और इसके अन्तर्गत, नियत दिन के पहले सन्निर्मित्त निवासी एकक वाले किसी भवन की दशा में, यथास्थिति, उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट न्यूनतम विस्तार, या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट विस्तार से लगी हुई भूमि का, यदि कोई हो, पांच सौ वर्ग मीटर से अनधिक अतिरिक्त विस्तार" ।

(संशोधन संख्या 1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 तथा 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

'(n) "Urban agglomeration":—

(A) in relation to any State or Union territory specified in column (1) of Schedule I. means—';

"(ढ)" नगर बस्ती से अभिप्रेत है, —

(क) अनुसूची 1 के स्तम्भ (i) में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में "—)

(संशोधन संख्या 2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 50 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(B) in relation to any other State or Union territory. means any area which the State Government may, with the previous approval of the Central Government, having regard to its location, population (population being more than one lakh) and such other relevant factors as the circumstances of the case may require, by notification in the Official Gazette, declare to be an urban agglomeration and any agglomeration so declared shall be deemed to belong to category D in Schedule I and the peripheral area therefor shall be one kilometre;"

"(ख) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में वह क्षेत्र जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उसके अवस्थान, जनसंख्या (जनसंख्या एक लाख से अधिक हो) और ऐसे अन्य सुसंगत तथ्यों को जो किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर

वस्ती घोषित करें और इस प्रकार घोषित बस्ती अनुसूची 1 के प्रवर्ग घ की बस्ती समझी जाएगी और उसके लिए उपान्त क्षेत्र एक किलोमीटर होगा ;"

(संशोधन संख्या 3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6 में "and (और)" हटा दिया जाए ।

(संशोधन संख्या 4)

पृष्ठ, 5, पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ii) in an area where there are building regulations, the land occupied by any building which has been constructed before, or is being constructed on, the appointed day with the approval of the appropriate authority and the land appurtenant to such building; and

(iii) in an area where there are no building regulations, the land occupied by any building which has been constructed before, or is being constructed on, the appointed day and the land appurtenant to such building;"

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम हैं, किसी ऐसे भवन द्वारा अधिमुक्त भूमि जो समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से नियत दिन के पूर्व या तो विनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है और ऐसे भवन से अनुलंग्न भूमि ; और

(iii) उस क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं है, ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि जो नियत दिन के पहले सन्निर्मित है या नियत दिन को सन्निर्मित की जा रही है और ऐसे भवन से अनुलंग्न भूमि ।"

(संशोधन संख्या 5)

खण्ड 4

पृष्ठ 7, पंक्ति 46 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"(11) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-sections (5), (6), (7), (9) and (10) shall be construed as empowering the competent authority to declare any land referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (q) of section 2 as excess vacant land under this Chapter."

"(11) सन्देह निवारण हेतु एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (5), (6), (7), (9) और (10) के अन्तर्गत किसी बात से धारा 2 के खण्ड (त) के उपखण्ड 2 या उपखण्ड (3) में उल्लिखित किसी भूमि को सक्षम अधिकारी को रिक्त भूमि करार देने का अधिकार नहीं होगा ।

(संशोधन संख्या 6)

पृष्ठ 8—

(i) पंक्ति 8 में अन्त में "or (अथवा)" जोड़ दिया गाए,

(ii) पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"(iii) possesses such land but owns the building, the possession being as a tenant under a lease or as a mortgagee or under an irrevocable power of attorney or a hire-purchase agreement or partly in one of the said capacities or partly in any other of the said capacity or capacities."

"(iii) ऐसी भूमि पर कब्जा रखता है किन्तु भवन का स्वामी है, ऐसा कब्जा किसी पट्टे के अधीन अभिधारी के रूप में या बन्धकदार के रूप में है या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन या भागत: उक्त हैसियतों में से एक में या भागत : उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य में रखता है।"।

(संशोधन संख्या 7)

खण्ड 6

पृष्ठ 9, पंक्ति 6, "Sub-section (उप-धारा)" शब्द के स्थान पर "Section (धारा)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 8)

पृष्ठ 9, पंक्ति 12 तथा 13—

Sub-clause [ii] of [के उपखण्ड (ii)] शब्द तथा कोष्ठक का लोप करें ।

(संशोधन संख्या 9)

खण्ड 7

पृष्ठ 10, पंक्ति 39—

"Persons (व्यक्तियों)" शब्द के स्थान पर

"Person (व्यक्ति)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

(संशोधन संख्या 10)

खण्ड 15

पृष्ठ 15, पंक्ति 10 authority (विक्रय द्वारा) शब्दों के पश्चात् "या क्रय द्वारा या अन्यथा" शब्द जोड़ दिए जाएं ।

(संशोधन संख्या 11)

खण्ड 22

पृष्ठ 19, पंक्ति 19 for such purpose (अनुज्ञात कर सकता है) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"for such purpose and where the competent authority is not so satisfied and does not so permit, the provisions of sections 6 to 14 (both inclusive) shall, so far as may be, apply to the statement filed under sub-section (1) and to the vacant land held by such person in excess of the ceiling limit."

"अनुज्ञात कर सकता है और जहां सक्षम प्राधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है और वह इस प्रकार अनुज्ञात नहीं करता है वहां धारा 6 से 14 के (जिनमें ये दोनों धाराएं भी हैं), उपबन्ध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई विवरणी को और अधिकतम सीमा के आधिक्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि को, लागू होंगे ।"

(संशोधन संख्या 12)

खण्ड 27

पृष्ठ 21, पंक्ति 28 में time being in force (किसी बात के होते हुए भी) शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया गया "but subject to the provisions of sub-section (3) of section 5 and Sub-seciton (4) of section 10 [किन्तु धारा 5 की उपधारा (3) और धारा 10 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ।

(संशोधन संख्या 13)

खण्ड 38

पृष्ठ 25, पंक्ति 40 से 45 हटा दी जाए

(संशोधन संख्या 14)

पृष्ठ 26 :—

(i) पंक्ति 1 (2)" के स्थान पर

"offence and punishment 38 (1)"

(अपराध और दंड) 38 (1)" प्रतिस्थापित किया जाए

(ii) पंक्ति 6, "3" के स्थान पर (2)" प्रतिस्थापित किया जाए

(iii) पंक्ति 11 (4)" के स्थान पर (3)" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iv) पंक्ति 16, 15" के स्थान पर (4)" प्रतिस्थापित किया जाए

(संशोधन संख्या 15)

अनुसूची 1

पृष्ठ 36, पंक्ति 15, 8 Kms. (8 किलोमीटर) के स्थान पर 8 Kms* (8 किलोमीटर*) प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 16)

पृष्ठ 36, पंक्ति 45 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"*Where any land within the peripheral area of eight kilometres is covered by water (whether by inland waters or sea or creek), the peripheral area shall be extended beyond such water to a further distance equal to the distance measured across and occupied by such water."

("*जहां आठ किलोमीटर के उपान्त क्षेत्र के भीतर कोई भूमि जल-निमग्न है (चाहे अन्तर्देशीय जल द्वारा या समुद्र या संकरी खाड़ी द्वारा) वहां ऐसा उपान्त क्षेत्र ऐसी अतिरिक्त दूरी तक विस्तारित कर दिया जाएगा जो ऐसे जल द्वारा अधियुक्त और उसके आरपार की दूरी के बारबर हो"।)

(संशोधन संख्या 17)

इससे पहल कि प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की जाए, मैं इन संशोधनों का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहता हूं। इनके तीन महत्व हैं। पहला तो बम्बई के सम्बन्ध में है। जैसा कि हम जानते हैं कि बम्बई का उपान्त क्षेत्र 8 किलोमीटर है और हमें यह स्पष्ट करना था कि इससें समुद्र को नहीं गिना गया है। यह एक आवश्यक संशोधन है। दूसरी बात यह है कि गांवों में भवन विनियम नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि दिल्ली में भूमि पर स्वामित्व के स्थान पर कब्जा है। अतः हमने इस तथ्य पर भी विचार किया है। अतः हम सब कमियों को दूर कर रहे हैं। सदन से मेरा अनुरोध है कि वह इन संशोधनों को स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में नगर सम्पत्ति के संकेन्द्र को तथा उसमें सट्टे बाजी और मुनाफाखोरी को रोकने के उद्देश्य से और सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन के लिए नगर बस्ती की भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के उद्देश्य से नगर बस्ती में रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा अधिरोपित करने का, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के अर्जन का, ऐसी भूमि पर भवनों के सन्निर्माण को विनियमित करने का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए :"

खण्ड 2

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ::—

(g) "Land appurtenant", in relation to any building, means—

(i) in an area where there are building regulations, the minimum extent of land required under such regulations to be kept as open space for the enjoyment of such building., which in no case shall exceed five hundred square metres; or

(ii) in an are where there are no building regulations, an extent of five hundred square metres contiguous to the land occupied by such building,

and includes, in the case of any building constructed before the appointed day with a dwelling unit therein, an additional extent not exceeding five hundred square metres of land, if any, contiguous to the minimum extent referred to in sub-clause (i) or the extent referred to in sub-clause (ii), as the case may be;

(छ) किसी भवन के सम्बन्ध में अनुलग्न भूमि से अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम है वहां ऐसे भवन के उपयोग के लिए खुले स्थान क रूप में रखे जाने के लिए ऐसे विनियमों के अधीन अपेक्षित भूमि का न्यूनतम विस्तार, जो किसी भी दशा में पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा ; या

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं हैं, वहां ऐसे भवन द्वारा अधियुक्त भूमि से लगे हुए पांच सौ वर्ग मीटर का विस्तार ;

और इसके अन्तर्गत, नियत दिन के पहले सन्निर्मित निवासी एकक वाले किसी भवन की दशा में यथास्थिति, उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट न्यूनतम विस्तार या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट विस्तार से लगी हुई भूमि का, यदि कोई हो, पांच सौ वर्ग मीटर से अनधिक अतिरिक्त विस्तार

(संशोधन संख्या 1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 तथा 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

(n) "urban agglomeration" :—

(a) in relation to any state or union territory specified in column (1) of Schedule I, means;

(ढ़) "नगर बस्ती से अभिप्रेत है,—

(क) अनुसूची I के स्तम्भ (1) म विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में" :—

(संशोधन संख्या 2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 50 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(B) in relation to any other State or Union territory, means any area which the State Government may, with the previous approval of the Central Government, having regard to its location, population (population being more than one lakh) and such other relevant factors as the circumstances of the case may require, by notification in the Official Gazette, declare to be an urban agglomeration and any agglomeration so declared shall be deemed to belong to category D in Schedule I and the peripheral area therefor shall be one kilometre."

(ख) किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में वह क्षेत्र जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उसके अवस्थान, जनसंख्या (जनसंख्या एक लाख से अधिक हो) और ऐसे अन्य सुसंगत तथ्यों को जो किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर बस्ती घोषित करें और इस प्रकार घोषित बस्ती अनुसूची 1 के प्रवर्ग ध की बस्ती समझी जाएगी और उसके लिए उपान्त क्षेत्र एक किलोमीटर होगा ;)

(संशोधन संख्या 3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6 में and (और) शब्द हटा दिया जाए

(संशोधन संख्या 4)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

"(ii) in an area where there are building regulations the land occupied by any building which has been constructed before, or is being constructed on, the appointed day with the approval of the appropriate authority and the land appurtenant to such building; and

(iii) in an area where there are no building regulations, the land occupied by any building which has been constructed before, or is being constructed on, the appointed day the land appurtenant to such building:"

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम हैं, किसी ऐसे भवन द्वारा अधिमुक्त भूमि जो समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से नियत दिन के पूर्व या तो विनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है और ऐसे भवन से अनुलग्न भूमि; और

(iii) उस क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं है, ऐसे भवन द्वारा अधिमुक्त भूमि जो नियत दिन के पहले सन्निर्मित है या नियत दिन को सन्निर्मित की जा रही है और ऐसे भवन से अनुलग्नक भूमि

(संशोधन संख्या 5)

खण्ड 4

पृष्ठ 7, पंक्ति 46 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"(11) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-sections (5), (6), (7), (9) and (10) shall be construed as empowering the competent authority to declare any land referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (q) of section 2 as excess vacant land under this chapter."

"(ii) सन्देह निवारण हेतु एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (5), (6), (7), (9) और (10) के अन्तर्गत किसी बात की धारा 2 के खण्ड (त) के उपखण्ड 2 या उपखण्ड (3) में उल्लिखित किसी भूमि को सक्षम अधिकारी को रिक्त भूमि करार देनें का अधिकार नहीं होगा।"

(संशोधन संख्या 6)

पृष्ठ 8 --

(i) पंक्ति 8 के अन्त में "or (अथवा)" जोड़ दिया जाए,

(ii) पंक्ति 7 के बाद निम्निलिखित जोड़ दिया जाए :—

"(iii) possesses such land but owns the building. the possession being as a tenant under a lease or as a mortgagee or under an irrevocable power of attorney or a hire-purchase agreement or partly in one of the said capacities or partly in any other of the said capacity or capacities."

(iii) (ऐसी भूमि पर कब्जा रखता है किन्तु भवन का स्वामी है, ऐसा कब्जा किसी पट्टे के अधीन अभिधारो के रुप में या बन्धकदार के रुप में है या अप्रिति-संहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन या भागतः उक्त हैसियतों में से एक में या भागतः उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य में रखता है।")

(संशोधन संख्या 7)

खण्ड 6

पृष्ठ 9, पंक्ति 6, Sub Section (उप धारा) शब्द के स्थान पर "Section (धारा)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए

(संशोधन संख्या 8)

पृष्ठ 9, पंक्ति 12 तथा 13—

Sub-Clause (ii) (के उपखण्ड (ii)) शब्द तथा कोष्ठक का लोप करें ।

(संशोधन संख्या 9)

खण्ड 7

पृष्ठ 10, पंक्ति 39:—

"Persons (व्यक्तियों)" शब्द के स्थान पर "Person (व्यक्ति)" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 10)

खण्ड 15

पृष्ठ, 15 पंक्ति 10, authority (विक्रय द्वारा) शब्दों के पश्चात् "या क्रय द्वारा या अन्यथा" शब्द जोड़ दिए जाएं ।

(संशोधन संख्या 11)

खण्ड 22

पृष्ठ 19, पंक्ति 19:— for such purpose (अनुज्ञात कर सकता है) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"For such purpose and where the competent authority is not so satisfied and does not so permit, the provisions of section 6 to 14 (both inclusive) shall, so far as may be, apply to the statement filed under sub-section (1) and to the vacant land held by such person in excess of the ceiling limit."

(अनुज्ञात कर सकता है और जहां सक्षम प्राधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है और वह इस प्रकार अनुज्ञात नहीं करता है वहां धारा 6 से 14 के जिनमें ये दोनों धाराएं भी है, उपबन्ध, जहां तक हो सके 'उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई विवरणी को और अधिकतम सीमा के अधिक्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि को, लागू होंगे ।)

(संशोधन संख्या 12)

खण्ड 27

पृष्ठ 21, पंक्ति 28 में, 'time being in force (किसी बात के होते हुए भी) शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

(but subject to the provisions of sub-section (3) of section 5 and sub-section (4) of Section 10'

[किन्तु धारा 5 की उपधारा (3) और धारा 10 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए]

(संशोधन संख्या 13)

खण्ड 38

पृष्ठ 25, पंक्ति 40 से 45 हटा दी जाएं

(संशोधन संख्या 14)

पृष्ठ 26 :—

(i) पंक्ति 1 (2) " के स्थान पर
"Offence and Punishment 38 1"
(अपराध और दण्ड) 38 (1)" प्रतिस्थापित किया जाए

(ii) पंक्ति 6, "3" के स्थान पर "(2)" प्रतिस्थापित किया जाए

(iii) पंक्ति 11 "(4)" के स्थान पर (3)" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iV) पंक्ति 16, "(5)" के स्थान पर (4)" प्रतिस्थापित किया जाए

(संशोधन संख्या 15)

अनुसूची 1

पृष्ठ 36, पंक्ति 15, 8 Kms (8 किलोमीटर) के स्थान पर 8 Kms* (8 किलीमीटर)* प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 16)

पृष्ठ 36, पंक्ति 45 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"where any land within the peripheral area of eight kilometres is covered by water (whether by inland waters or sea or creek), the peripheral area shall be extended beyond such water to a further distance equal to the distance measured across and occupied by such water."

(जहां आठ किलीमीटर के उपान्त क्षेत्र के भीतर कोई भूमि जल-निमग्न है (चाहे अन्तर्देशीय जल द्वारा या समुद्र या संकरी खाड़ी द्वारा) वहां ऐसा उपान्त क्षेत्र ऐसी अतिरिक्त दूरी तक विस्तारित कर दिया जाएगा जो ऐसे जल द्वारा अधियुक्त और उसके आरपार की दूरी के बराबर हो ।")

(संशोधन संख्या 17)

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : अध्यक्ष महोदय, अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इस विधेयक को सभा के समक्ष लाते समय सरकार ने इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया है। विधेयक के जितने खंड हैं उनसे अधिक अर्थात् 17 संशोधन सरकार ने कर दिये हैं। जब विधेयक पिछली बार इस सभा में लाया गया था तो मैंने कहा था कि सरकार ने विधेयकों पर पूरी तरह विचार नहीं किया और इतना ही नहीं वह हमारी बात भी नहीं सुनती।

मैंने सुझाव दिया था कि इन परिस्थितियों में सरकार को लोकसभा की वर्तमान अवधि समाप्त होने पर चुनाव कराने चाहिये। क्योंकि यदि विधेयक इसी प्रकार पास किये जाने हैं तो हमारा और उनका समय यूंही क्यों खराब किया जाये। वे अपने हाथ खड़े करके कह सकते हैं कि यही कानून है।

वर्तमान विधेयक में अधिकतम सीमा वर्तमान मकानों और उससे लगी भूमि पर लागू नहीं होता तो "मकान से जुड़ी भूमि" के सम्बन्ध में विधेयक में लिखा है कि प्रत्येक नगर अपने भवन विनियमों के अनुसार चलेगा कि यदि मास्टर प्लान के भवन विनियम के अनुसार खाली भूमि 500 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह 500 या 1000 वर्ग मीटर की निश्चित सीमा के अन्तर्गत है और खाली भूमि नहीं है। सरकार उसे भी खाली भूमि ही स्वीकार करेगी।

इस मामले में केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि तकनीकी पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। कई गगनचुम्बी इमारतें हैं जिनमें 1000 वर्ग मीटर से 3,000 वर्ग मीटर पर भवन निर्माण किया गया है और 2000 वर्ग मीटर या 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सड़कें या रास्ते बने हैं। तो ऐसी स्थिति में इमारतें तो रह जायेंगी लकिन सड़कें गायब हो जायेंगी। क्योंकि वह अतिरिक्त भूमि हो जायेगी।

यह विधेयक लागू नहीं किया जा सकता। यह उपबन्ध किया गया है कि 'ए' श्रेणी के नगरों में कोई आवास 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में नहीं बनाया जा सकता। 500 वर्ग मीटर एक फैक्टरी का क्षेत्र है आवासीय मकान का नहीं या किसी विशाल भवन का। यह तो अदूर-दर्शिता का उदाहरण है।

सरकार ने यह उपबन्ध किया है कि प्रत्येक कानून भूतलक्षी समय से लागू होंगे। ऐसा विधेयक लाने की क्या जरूरत है जिसे लागू ही नहीं किया जा सकता।

इस सदन का प्रत्येक वर्ग शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के पक्ष में है। लेकिन उसे कैसे लागू किया जाये तो इस बारे में मतभेद हो सकता है। सरकार ने बलपूर्वक ऐसा करने का प्रयत्न किया है। यह बात गलत है ; यह काम कराधान द्वारा किया जाना चाहिये। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरिमपुर) : मैं संशोधन संख्या 14 और 15 के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। संशोधन 14 का उद्देश्य खंड 38(1) का लोप करना है जिसमें अपराधों के लिये खंड का प्रावधान है। पता नहीं वह क्यों अपने वादे से मुकर रहे हैं।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : संशोधन के अनुसार निर्मित क्षेत्र और खुली जगह को खाली भूमि नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार मकान से जुड़ी भूमि भी खाली भूमि नहीं है। जहां तक मकान से जुड़ी हुई भूमि का सम्बन्ध है इस संशोधन में बहुत सी खाली भूमि जो बेकार

पड़ी है उस पर विचार नहीं किया गया है । क्या इस प्रकार समान वितरण हो सकेगा उलटे आप तो उनको लाभ पहुंचा रहे हैं जिनके पास एक से अधिक मकान हैं । इस विधेयक की संवैधानिकता के बारे में भी सन्देह है । यह अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

श्री के० रघुरामैया : महोदय, मैं पहले श्री सेकैरा की बात का उत्तर दूंगा । उन्होंने कहा है कि सरकार को भली-भांति विचारना चाहिये था । मेरा सुझाव है कि सदस्य महोदय को भी संशोधन पढ़ने से पहले विचार करने का दामन नहीं छोड़ना चाहिये । उन्होंने कहा है कि सरकार भवन विनियमों का उल्लंघन कर रही है । लेकिन सरकार काला धंधा करने वालों और धोखाधड़ी करने वालों के लिये भवन विनियमों को लागू नहीं कर सकती ।

सरकार लाचार होकर कार्यवाही कर रही है क्योंकि हम भूमि को बेकार पड़ी रहने देना नहीं चाहते । यदि कमजोर वर्गों के लिये अधिक भूमि प्राप्त करने के लिये विनियमों में परिवर्तन करना पड़ता है तो सरकार को उसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यह समाजवाद की नीति के अनुकूल है ।

कोई व्यक्ति पूरे 500 वर्ग मीटर पर मकान बनाने को बाध्य नहीं है । लेकिन अधिकतम सीमा वही है । दंड के लिये खंड 15 में उपबंध है । यह उपबन्ध केवल इतना नहीं है कि किसी व्यक्ति को पैतृक सम्पत्ति के रूप में क्या मिला । उसे यह भी बताना होगा कि उसे क्या दिया गया अथवा भेंट दिया गया और बाद में क्या खरीदा गया । इसलिये हमने खंड 15 में यह संशोधन कर कड़ी चेतावनी दी है कि बाद में भी ली गई खरीद का हिसाब भी देना होगा और विधेयक के सभी खंड उस पर लागू होंगे । ऐसा किये जाने पर खंड 38(1) की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 38(2) में यह बात आ गई है । गलत ब्यानी की बात भी 38(2) में आ गई है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : (बेतूल) : यदि किसी व्यक्ति के पास200 मकान हों जैसा कि नागपुर में है तो क्या वह 50,000 वर्ग मीटर रख सकेगा ?

श्री के० रघुरामैया : वह प्रत्येक मकान के लिये निश्चित भूमि रख सकता है लेकिन उसे परिणाम भुगतना होगा । हम राज्य सरकारों को ऐसे मार्गदर्शी निर्देश दे रहे हैं कि उन मकानों पर इतने भारी कर लगाये जायें कि वह एक-एक करके उन मकानों को बेचने के लिये विवश हो जाये । हम स्वयं ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा पास किये गये संकल्पों के कारण हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं ।

जहाँ तक 500 वर्ग मीटर भूमि रखने का प्रश्न है । पहले एक सुझाव था कि बनी हुई इमारत बनी रहने दी जाये चाहे उसका क्षेत्र कितना ही क्यों न हो । एक अन्य विचार यह था कि मकान को बांट दिया जाये लेकिन हमने बीच का रास्ता निकाला है । गांवों में भवन विनियम नहीं हैं अतः हमने यह सोच कर कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता न रहे इसलिये एक मकान और 1000 वर्ग मीटर भूमि के लिए अनुमति दी है । 500 वर्ग मीटर के लिए अनुमति देते समय हम इस बात पर विचार करेंगे कि किसी व्यक्ति के पास सम्पत्ति कितनी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में नगर सम्पत्ति के संकेन्द्रण को तथा उसमें सट्टे बाजी और मुनाफाखोरी को रोकने के उद्देश्य से और सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन के लिए नगर बस्ती की भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के उद्देश्य से नगर बस्ती में

रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा अधिरोपित करने का, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के अर्जन का, ऐसी भूमि पर भवनों के सन्निर्माण का विनियमित करने का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए ।"

खण्ड 2

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

(g) "land appurtenant", in relation to any building, means—

(i) in an area where there are building regulations, the minimum extent of land required under such regulations to be kept as open space for the enjoyment of such building, which in no case shall exceed five hundred square metres; or

(ii) in an area where there are no building regulations, an extent of five hundred square metres contiguous to the land occupied by such building,

and includes, in the case of any building constructed before the appointed day with a dwelling unit therein, an additional extent not exceeding five hundred square metres of land, if any, contiguous to the minimum extent referred to in sub-clause (i) or the extent referred to in sub-clause (ii), as the case may be;

(छ) किसी भवन के सम्बन्ध में अनुलग्न भूमि से अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम है वहां ऐसे भवन के उपयोग के लिए खुले स्थान के रूप में रखे जाने के लिए ऐसे विनियमों के अधीन अपेक्षित भूमि का न्यूनतम विस्तार, जो किसी भी दशा में पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा; या

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं है, वहां ऐसे भवन द्वारा अधिमुक्त भूमि से लगे हुए पांच सौ वर्ग मीटर का विस्तार, और इसके

अन्तर्गत, नियत दिन के पहले सन्निर्मित निवासी एकक वाले किसी भवन की दशा में, यथास्थिति उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट न्यूनतम विस्तार, या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट विस्तार से लगी हुई भूमि का, यदि कोई हो, पांच सौ वर्ग मीटर से अनधिक अतिरिक्त विस्तार

(संशोधन संख्या 1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 तथा 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जा —

(n) "urban agglomeration" :—

(a) in relation to any State or union territory specified in column (1) of Schedule I, means ;

("ढ़)" नगर बस्ती से अभिप्रेत है,—

(क) अनुसूची 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में" :—

(संशोधन संख्या 2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 50 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(B) in relation to any other State or Union territory, means any area which the State Government may, with the previous approval of the Central Government, having regard to its location, population (population being more than one lakh) and such other relevant factors as the circumstances of the case may require, by notification in the Official Gazette, declare to be an urban agglomeration and any agglomeration so declared shall be deemed to belong to category D in Schedule I and the peripheral area therefor shall be one kilometre."

(ख) किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में वह क्षेत्र जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उसके अवस्थान, जनसंख्या (जनसंख्या एक लाख से अधिक हो) और ऐसे अन्य सुसंगत तथ्यों को जो किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर बस्ती घोषित करें और इस प्रकार घोषित बस्ती अनुसूची 1 के प्रवर्ग ध की बस्ती समझी जाएगी और उसके लिए उपान्त क्षेत्र एक किलोमीटर होगा;)

(संशोधन संख्या 3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6 में and (और) शब्द हटा दिया जाए

(संशोधन संख्या 4)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ii) in an area where there are building regulations the land occupied by any building which has been constructed before, or is being constructed on, the appointed day with the approval of the appropriate authority and the land appurtenant to such building; and

(iii) in an area where there are no building regulations, the land occupied by any building which has been constructed before, or is being constructed on, the appointed day and the land appurtenant to such building;"

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम है, किसी ऐसे भवन द्वारा अधियुक्त भूमि जो समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से नियत दिन के पूर्व या तो विनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है और ऐसे भवन से अनुलग्न भूमि ; और

(iii) ऐसे क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं है, ऐसे भवन द्वारा अधियुक्त भूमि जो नियत दिन के पहले सन्निर्मित है या नियत दिन को सन्निर्मित की जा रही है और ऐसे भवन से अनुलंग्नक भूमि

(संशोधन संख्या 5)

खण्ड 4

पृष्ठ 7, पंक्ति 46 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"(11) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-sections (5), (6), (7), (9) and (10) shall be construed as empowering the competent authority to declare any land referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (q) of section 2 as excess vacant land under this chapter."

["(11) सन्देह निवारणहेतु एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (5), (6), (7), (9), और (10) के अन्तर्गत किसी बात से धारा 2 के खंड (क) के उपखंड 2 या उपखंड (3) में उल्लिखित किसी भूमि को सक्षम अधिकारी को रिक्त भूमि करार देने का अधिकार नहीं होगा ।]

(संशोधन संख्या 6)

पृष्ठ 8—

(i) पंक्ति 8 के अन्त में or (अथवा) जोड़ दिया जाए,

(ii) पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

(iii) possesses such land but owns the building, the possession being as a tenant under a lease or as a mortgagee or under an irrevocable power of attorney or a hire-purchase agreement or partly in one of the said capacities or partly in any other of the said capacity or capacities."

(ऐसी भूमि पर कब्जा रखता है किन्तु भवन का स्वामी है, ऐसा कब्जा किसी पट्टे के अधीन अभिधारी के रूप में या बन्धकदार के रूप में हैं या अप्रतिसंहरणीय मुख्तार-नाम के अधीन या अवक्रय करार के अधीन या भागतः उक्त हैसियतों में से एक में या भागतः उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य में रखता है।")

(संशोधन संख्या 7)

खण्ड 6

पृष्ठ 9, पंक्ति 6, sub-section (उपधारा) शब्द के स्थान पर section (धारा) शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 8)

पृष्ठ 9, पंक्ति 12 तथा 13—

sub-clause (ii) of [के उपखंड (ii)] शब्द तथा कोष्ठक का लोप करें ।

(संशोधन संख्या 9)

खण्ड 7

पृष्ठ 10, पंक्ति 39 :—

persons (व्यक्तियों) शब्द के स्थान पर है person '(व्यक्ति) शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 10)

खण्ड 15

पृष्ठ 15, पंक्ति 10 authority (विक्रय द्वारा) शब्दों के पश्चात् "या क्रय द्वारा या अन्यथा" शब्द जोड़ दिए जाएं ।

(संशोधन संख्या 11)

खण्ड 22

पृष्ठ 19, पंक्ति 19 :— for such purpose (अनुज्ञात कर सकता है) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"For such purpose and where the competent authority is not so satisfied and does not so permit, the provisions of section 6 to 14 (both inclusive) shall, so far as may be apply to the statement filed under sub-section (1) and to the vacant land held by such person in excess of the ceiling limit."

[अनुज्ञात कर सकता है और जहां सक्षम प्राधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है और वह इस प्रकार अनुज्ञात नहीं करता है वहां धारा 6 से 14 के (जिनमें ये दोनों धाराएं भी हैं, उपबन्ध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई विवरणी को और अधिकतम सीमा के आधिक्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि को, लागू होंगे।]

(संशोधन संख्या 12)

खण्ड 27

पृष्ठ 21, पंक्ति 28 में, 'time being in force' (किसी बात के होते हुए भी) शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

(but subject to the provisions of sub-section (3) of section 5 and sub-section (4) of Section 10'

[किन्तु धारा 5 की उपधारा (3) और धारा 10 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए]

(संशोधन संख्या 13)

खण्ड 38

पृष्ठ 25, पंक्ति 40 से 45 हटा दी जाएं

(संशोधन संख्या 14)

पृष्ठ 26 :—

(i) पंक्ति 1 (2) "के स्थान पर

"Offence and Punishment 38 (1)"

(अपराध और दण्ड) 38 (1)" प्रतिस्थापित किया जाए दण्ड]

(ii) पंक्ति 6, "3" के स्थान पर "(2)" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) पंक्ति 11 "(4)" के स्थान पर (3)" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iv) पंक्ति 16, 15 "के स्थान पर (4)" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 15)

अनुसूची 1

पृष्ठ 36, पंक्ति 15, 8 Kms. (8 किलोमीटर) के स्थान पर 8 Kms.* (8 किलोमीटर*) प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन संख्या 16)

पृष्ठ 36, पंक्ति 45 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"*where any land within the peripheral area of eight kilometres is covered by water (whether by inland waters or sea or creek), the peripheral area shall be extended beyond such water to a further distance equal to the distance measured across and occupied by such water."

[*जहां आठ किलोमीटर के उपान्त क्षेत्र के भीतर कोई भूमि जल-निमग्न है (चाहे अन्तर्देशीय जल द्वारा या समुद्र या संकरी खाड़ी द्वारा) वहां ऐसा उपान्त क्षेत्र ऐसी अतिरिक्त दूरी तक विस्तारित कर दिया जायगा जो ऐसे जल द्वारा अधिमुक्त और उसके आरपार की दूरी के बराबर हो।"]

(संशोधन संख्या 17)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 2

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

'(g) "land appurtenant". in relation to any building means—

(i) in an area where there are building regulations, the minimum extent of land required under such regulations to be kept as open space for the enjoyment of such building, which in no case shall exceed five hundred square metres; or

(ii) in an area where there are no building regulations, an extent of five hundred square metres, contiguous to the land occupied by such building

and includes in the case of any building constructed before the appointed day with a dwelling unit therein, an additional extent not exceeding five hundred square metres of land, if any, contiguous to the minimum extent referred to in sub-clause (i) or the extent referred to in sub-clause (ii), as the case may be;'

"(छ) किसी भवन के सम्बन्ध में "अनुलग्न भूमि" से अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम है वहां ऐसे भवन के उपयोग के लिए खुले स्थान के रूप में रखे जाने के लिए ऐसे विनियमों के अधीन अपेक्षित भूमि का न्यूनतम विस्तार, जो किसी भी दशा में पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा; या

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं हैं, वहां ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि से लगे हुए पांच सौ वर्ग मीटर का विस्तार;

और इसके अन्तर्गत, नियत दिन के पहले सन्निर्मित निवासी एकक वाले किसी भवन की दशा में, यथास्थिति, उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट न्यूनतम विस्तार, या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट विस्तार से लगी हुई भूमि का, यदि कोई हो, पांच सौ वर्ग मीटर से अनधिक अतिरिक्त विस्तार;"

(संशोधन संख्या 1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 तथा 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :--

"(n) Urban agglomeration :—

(a) in relation to any State or Union territory specified in column (1) of schedule I, means ;

(ङ) नगर बस्ती से अभिप्रेत है,—

(क) अनुसूची 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में" :-

(संशोधन संख्या 2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 50 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(B) in relation to any other State or Union territory. means any area which the State Government may, with the previous approval of the Central Government, having regard to its location, population (population being more than one lakh) and such other relevant factors as the circumstances of the case may require, by notification in the Official Gazette declare to be an urban agglomeration and any agglomeration so declared shall be deemed to belong to Category D in Schedule I and the peripheral area therefor shall be one kilometre ;"

"(ख) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में वह क्षेत्र जो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, उसके अवस्थान, जनसंख्या (जनसंख्या एक लाख से अधिक हो) और ऐसे अन्य ससंगत तथ्यों को जो किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर बस्ती घोषित करें और इस प्रकार घोषित बस्ती अनुसूची 1 के प्रवर्ग घ की बस्ती समझी जाएगी और उसके लिए उपरान्त क्षेत्र एक किलोमीटर होगा;"

(संशोधन संख्या 3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6 में and (और) शब्द हटा दिया जाये

(संशोधन संख्या 4)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

(i) in an area where there are building regulations, the minimum extent of land required under such regulations to be kept as open space for the enjoyment of such building, which in no case shall exceed five hundred square metres; or

(ii) in an area where there are no building regulations. an extent of five hundred square metres contiguous to the land occupied by such building.

पृष्ठ 4, पंक्ति 12 में, "और" का लोप करें;

पंक्ति 13 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखें; अर्थात् :—

(ii) ऐसे क्षेत्र में जहां निर्माण विनियम हैं, किसी ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि जो समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन से नियत दिन के पूर्व या तो विनिर्मित किया गया है या किया जा रहा है और ऐसे भवन से अनुलग्न भूमि; और

(iii) उस क्षेत्र में जहां कोई निर्माण विनियम नहीं है; ऐसे भवन द्वारा अधिभुक्त भूमि जो नियत दिन के पहले सन्निर्मित है या नियत दिन को सन्निर्मित की जा रही है और ऐसे भवन से अनुलग्न भूमि।"।

(संशोधन संख्या 5)

खण्ड 4

पृष्ठ 7, पंक्ति 46 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"(11) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in sub-sections (5), (6), (7), (9) and (10) shall be construed as empowering the competent authority to declare any land referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of clause (q) of section 2 as excess vacant land under this Chapter"

["(11) सन्देह निवारण हेतु एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (5), (6), (7), (9), और (10) के अन्तर्गत किसी बात से धारा 2 के खण्ड (त) के उपखण्ड 2 या उपखण्ड (3) में उल्लिखित किसी भूमि को सक्षम अधिकारी रिक्त भूमि करार देने का अधिकारी नहीं होगा ।]

(संशोधन संख्या 6)

पृष्ठ 8—

(i) पृष्ठ 8 के अंत में or (अथवा) जोड़ दिया जाए,

(ii) पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"(iii) possesses such land but owns the building, the possession being as a tenant under a lease or as a mortgagee or under an irrevocable power of attorney or a hire-purchase agreement or partly in one of the said capacities or partly in any other of the said capacity or capacities."

"(iii) ऐसी भूमि पर कब्जा रखता है किन्तु भवन का स्वामी है, ऐसा कब्जा किसी पट्टे के अधीन अभिधारी के रूप में या बन्धकदार के रूप में है या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन या भागतः उक्त हैसियतों में से एक में या भागतः उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य में रखता है ।"।

(संशोधन संख्या 7)

खण्ड 6

पृष्ठ 9; पंक्ति 6, Sub-section (उपधारा) शब्द के स्थान पर Section (धारा) शब्द प्रतिस्थापित किया जाए :—

(संशोधन संख्या 8)

पृष्ठ 9, पंक्ति 12 तथा 13—

sub-clause (ii) of [के उपखण्ड (ii)] शब्द तथा कोष्ठक का लोप करें

(संशोधन संख्या 9)

खण्ड 7

पृष्ठ 10, पंक्ति 39 :—

persons (व्यक्तियों) शब्द के स्थान पर person (व्यक्ति) शब्द प्रतिस्थापित किया जाए

(संशोधन संख्या 10)

खण्ड 15

पृष्ठ 15, पंक्ति 10 authority (विक्रय द्वार) शब्दो के पश्चात् "या क्रय द्वारा या अन्यथा" शब्द जोड़ दिए जाएं

(संशोधन संख्या 11)

खण्ड 22

पृष्ठ 19, पंक्ति 19 :—for such purpose (अनुज्ञात कर सकता है) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

'for such purpose" the words "for such purpose and where the competent authority is not so satisfied and does not so permit, the provisions of sections 6 to 14 (both inclusive) shall, so far as may be, apply to the statement filed under sub-section (1) and to the vacant land held by such person in excess of the ceiling limit."

"[अनुज्ञात कर सकता है और जहां सक्षम प्राधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है और वह इस प्रकार अनुज्ञात नहीं करता है वहां धारा 6 से 14 के (जिनमें ये दोनों धाराएं भी हैं) उपबन्ध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई विवरणी को और अधिकतम सीमा के आधिक्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि को, लागू होंगे।"।]

(संशोधन संख्या 12)

खण्ड 27

पृष्ठ 21, पंक्ति 28 में "time being in force (किसी बात के होते हुए भी)" शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"butsubject to the provisions of sub-section (3) of section 5 and sub-section (4) of section 10," be *inserted.*

"किन्तु धारा 5 की उपधारा (3) और धारा 10 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,"

(संशोधन संख्या 13)

खण्ड 38

पृष्ठ 25, पंक्ति 40 से 45 हटा दी जाएं।

(संशोधन संख्या 14)

पृष्ठ 26 :—

(i) पंक्ति 1 "(2) के स्थान पर offence and punishment 38 (1) (अपराध और दंड) 38 (1)" प्रतिस्थापित किया जाए

(ii) पंक्ति 6, "3" के स्थान पर "2" प्रतिस्थापित किया जाए

(iii) पंक्ति "4" के स्थान पर "3" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iv) पंक्ति 16, "15" के स्थान पर "4" प्रतिस्थापित किया जाए

(संशोधन संख्या 15)

अनुसूची 1

पृष्ठ 36, पंक्ति 15, 8 Kms. (8 किलोमीटर) के स्थान पर (8 किलोमीटर*) प्रतिस्थापित किया जाए

(संशोधन संख्या 16)

पृष्ठ 36, पंक्ति 45 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"*Where anyland within the peripheral area of eight kilometres is covered by water (whether byinland waters or sea or craeks), the peripheral area shall be extended beyond such water to a further distance equal to the distance measured across and occupied by such water."

"*जहां आठ किलोमीटर के उपान्त क्षेत्र के भीतर कोई भूमि जल-निमग्न है (चाहे अन्तर्देशीय जल द्वारा या समुद्र या संकरी खाड़ी द्वारा) वहां ऐसा उपान्त क्षेत्र ऐसी अतिरिक्त दूरी तक विस्तारित कर दिया जाएगा जो ऐसे जल द्वारा अधिभुक्त और उसके आरपार की दूरी के बराबर हो ।" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक

Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक, 1954, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

देश को प्रभावित करने वाली बहुत सी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों में से खाद्य अपमिश्रण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । खाद्य वस्तुओं में मिलावट से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग, महिलाएं तथा बच्चे शीघ्र ही इस बुराई का शिकार होते हैं। अतः कुछ समय से लोग यह मांग करते आ रहे हैं कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से हमने खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक में 1974 के अन्त में राज्य सभा में एक संशोधन पेश किया था। उस समय इस संशोधी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए मांग की गई थी और विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया। प्रवर समिति ने समस्या पर गम्भीरता से विचार किया। हम इस विधेयक के माध्यम से तीन महत्वपूर्ण बातें पूरी करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाये क्योंकि उसे मिलावट के बारे में जानकारी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि व्यापार में कदाचार रोका जाये। हम नहीं चाहते कि थोक व्यापारियों, उत्पादकों या फुटकर व्यापारियों को अनुचित रूप से तंग किया जाये। अन्तिम बात यह है कि कानून को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाये। इस नये विधेयक की कुछ मुख्य बातें ये हैं कि जिस अपमिश्रण का आसानी से पता लगाया जा सके तथा जिस अपमिश्रण का आसानी से पता न लगाया जा सके उन दोनों में अन्तर रखा गया है। इसके फलस्वरूप प्राथमिक खाद्य की परिभाषा प्रथम बार यहां पेश की गई है। दूसरी मुख्य बात यह है कि हम अपराधों की गम्भीरता को ध्यान में रखकर दण्ड प्रणाली में वर्गीकरण करने का सुझाव दे रहे हैं। प्राथमिक खाद्य को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। उमर कैद का भी उपबन्ध किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम विधेयक में नमूने लेने के तरीके को अधिक युक्तियुक्त तथा प्रभावी बनाने और सरकारी विश्लेषणकर्ता के प्रतिवेदन को पेश करने के लिए उपबन्ध कर रहे हैं। कार्यवाही करने के लिए बिल, रसीद या बीजक को आधार माना जायेगा।

न केवल मिलावट का बाजार ही गर्म है अपितु मिलावट की जानी वस्तुओं का निर्माण भी तेजी पर है। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि मिलावटी वस्तुओं का निर्माण करने वाले कई कारखाने स्थापित किये गये हैं और अब तक यह अधिनियम उनपर लागू नहीं होता था। अब हम ने उन वस्तुओं को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया है और दण्ड भी अपराध की गम्भीरता के अनुसार दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त हम ने खाद्य मानकों के लिए एक केन्द्रीय समिति नियुक्त की है जो खाद्य मानक निर्धारित करने वाला शीर्ष निकाय है। हम ने इस समिति का विस्तार किया है और इसमें होटल उद्योग तथा अन्य उपभोक्ता संगठनों सहित उपभोक्ताओं के पांच प्रतिनिधियों को रखा है। हम व्यापारियों के प्रतिनिधियों की संख्या भी 2 से बढ़ाकर 3 कर रहे हैं। राज्यों को निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति दी गई है क्योंकि हमारे देश में राज्य सरकारें ही प्रधान रूप से प्रवर्तन प्राधिकारी हैं। अतः हमने महसूस किया कि समुचित क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए ।

जिन अपराधों के लिए 1 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है उनके लिए हमने मुकदमा संक्षिप्त रूप से निपटाने का उपबन्ध भी किया है।

यह सही है कि इस समय देश में प्रयोगशालाओं की संख्या बहुत कम है। अतः हमने निर्णय किया है कि इस विधेयक को पास करने के बाद हम चार मुख्य क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को अपेलेट प्रयोगशालाओं के रूप में घोषित कर देंगे। केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता पूर्वीक्षेत्र के लिए, खाद्य और औषध अनुसंधान प्रयोगशाला, गाजियाबाद उत्तरी क्षेत्र के लिए, केन्द्रीय खाद्य टेक्नॉलौजिकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर दक्षिणी क्षेत्र के लिए और पब्लिक हैल्थ प्रयोगशाला, पूना पश्चिम क्षेत्र के लिए होगी। इससे नमूने भेजने में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सकेगा। इससे अधिनियम का कार्यान्वयन अधिक सुचारु रूप से होगा। इसके साथ-साथ हम 8 राज्यों को नई खाद्य तथा औषध प्रयोगशालाएं स्थापित करने और 12 राज्यों को अपनी वर्तमान प्रयोगशालाओं का विस्तार करने के लिए सहायता देने का विचार कर रहे हैं।

जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, मैंने इस वर्ष की 15 अप्रैल से केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक बुलाई है जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक में अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी मद पर विशेषकर विचार किया जायेगा। हम केन्द्रीय निदेशालय में खाद्य सेल को और मजबूत बनाना चाहते हैं। हम राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने संगठनों को मजबूत बनाने का अनुरोध कर रहे हैं। हम खाद्य टेक्नोलौजिस्टों तथा खाद्य निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू कर रहे हैं।

हम चाहते हैं कि इस अधिनियम की क्रियान्विति के लिये पर्याप्त प्रचार साधनों तथा नागरिक परिषद् के समान स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग किया जाये।

क्रियान्वयन पर नियुक्त कर्मचारीवृन्द पर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि ये लोग भोली-भाली जनता को तंग न कर सकें। उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध वर्तमान कानूनों तथा आपात शक्तियों का भी उपयोग किया जायेगा।

कोई भी कानून तभी सफल हो सकता है जब लोग भी काफी जागरूक हों और सरकार द्वारा उठाये गये पगों का समर्थन करें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक, 1954, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : हम तीन घंटे में सभी सदस्यों को समय दे सकेंगे।

Shri M. C. Daga (Pali): The first speakers usually take more time. Please call the names according to the order of the list.

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप अध्यक्ष पीठ पर ही छोड़ दें।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : स्वतंत्रता के बाद से खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण में वृद्धि हुई है। देश भर में इससे लोगों के स्वास्थ्य की हानि हो रही है। खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि भी इसका कारण रही है।]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आज सरकार नाम तो समाजवाद का लेती है, परन्तु वास्तव में हमारा समाज पूंजीवादी है, जिसमें लाभों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। लाभ कमाने के लिए ही यह सब मिलावटें की जाती हैं।

जब तक इस समाज में परिवर्तन नहीं आता मिलावट क नहीं सकती। इस बुराई का शिकार गरीब लोग होते हैं, क्योंकि धनी लोग अधिक व्यय करके अच्छी किस्म के खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं। गरीब जनता को घटिया मिलावटी पदार्थ खरीदने पड़ते हैं।

हमारे देश में 60 लाख बच्चे पोषाहार से वंचित रहते हैं। इन्हें दूध नहीं मिल पाता अन्य सस्ते पदार्थों पर निर्वाह करना पड़ता है। खाद्यान्नों के मूल्य घटा कर तथा गरीब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके इस बुराई को दूर किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत विधेयक में अपमिश्रण के अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। एक वर्ग तो ऐसा है जिससे स्वास्थ्य के लिये हानिकर पदार्थ तैयार होते हैं। पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग तो स्वास्थ्य के लिए घातक मिलावटों का है तथा दूसरा अन्य मिलावटों का है।

दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें व्यापक रूप से मिलावट की जाती है। दूध में पानी मिलाया जाता है। यह मिलावट किस वर्ग में आती है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूध की सप्लाई बनाये रखने के उपाय किये जाने चाहिएं। मंत्री महोदय बतायें कि ऐसे उपाय कौन से हैं।

इस कानून की क्रियान्विति के लिये एक के स्थान पर चार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक राज्य में एक प्रयोगशाला होगी, जिनमें प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी होंगे। प्रयोगशालाओं के पास उत्तम उपकरण होने चाहिएं तथा नमूनों की प्रतिदिन जांच की जानी चाहिए।

अब तक सफाई निरीक्षक यह कार्य करते थे। अब खाद्य निरीक्षक इस कार्य को करेंगे। खाद्य निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा उन्हें अच्छे वेतन दिये जाने चाहिएं ताकि भ्रष्टाचार से बचा जा सके। वित्तीय व्यवस्था के बिना यह विधेयक निरर्थक हो जायेगा। धन के अभाव में मिलावट रोकी नहीं जा सकती।

परामर्शदातृ समिति में उपभोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि होंगे जिनमें से एक होटल उद्योग में होना चाहिए।

मेरा परामर्श है कि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन को खाद्य परामर्शदातृ समिति के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। केवल केन्द्रीय स्तर ही नहीं अपितु सभी राज्यों के स्तर पर भी ऐसी परिषदें होनी चाहिएं। हम इस अधिनियम में कुछ भी सुधार कर लें जब तक आम जनता का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठता उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती।

Shri Shrikishan Modi (Sikar): I support this bill and thank the hon. Minister for bringing it here. The members of the Select Committee on this bill visited various places and viewed it from practical angle.

A vast majority of the persons, convicted under the Food Adulteration Act were from poor people. Only 5% belonged to the middle class but not even a single capitalist was brought to book. The poor people are jailed from 6 months for crimes committed by others.

The official view is that he should go to the court of law and prove that he is not involved.

A retailer is a selfemployed labourer and if he is punished it would be injustice towards him. The capitalist sell their produce through middle men.

There are many people in this country who earn their livelihood by keeping one or two milch animals. If such persons are jailed for 6 months and fined Rs. 2,000/- then these people would not be able to do that job. If this profession is not allowed to function the poor people would suffer. The hon. Minister is aware that 90 samples of the Central Government diary were taken and out of which only 5 samples were found upto the mark. The fate of poor people earning their livelihood by selling milk can be very wellimagined.

In the Central Committee formed for the purpose the representatives of the retailers should also be taken. Certain types of injurious seeds are added to oil which are very injurious to the health. Publicity campaign may be intensified. Mere punishments would not serve the purpose.

Shri Bharat Singh Chawhan (Dhar): I welcome this Bill to check adulterations. I do not think that these measures would end adulterations. It only provides a few steps in the direction. But to check adulterations require very effective measures. It is our experience of the last 25—30 years that directives were given to various States but these could not be implemented. Adulteraters are playing with the lives of 60 crores of people.

We can get the co-operation of Panchayats in the matter. If a suitable atmosphere is created in the country instead of these laws it can do a lot of good. I feel that it is necessary that we should study as to how the foreign countries have tackled this problem. We should also study the morality among the people in foreign lands. We need to create that type of atmosphere in our country. Only then the evils like adulteration can be checked.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं मन्त्री महोदय को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं ।

किसी भी कल्याणकारी राज्य में अपमिश्रण नहीं पाया जाता । विष-विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र लखनऊ द्वारा दूध समेत 12750 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की थी जिनमें से 70 प्रतिशत अनधिकृत विषैले रंगों से युक्त पाये गये । बम्बई के आंकड़े के अनुसार धनिया और मिर्चों के नमूनों में 56.25 तथा 45.07 प्रतिशत मिलावट पाई गई । कोई व्यक्ति यदि किसी एक व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करता है तो उसे आजीवन कारावास दिया जाता है । परन्तु जो लोग आर्थिक लाभ के लिये सारे समाज के विरुद्ध अपराध करते हैं उन्हें थोड़ी सी सजा दी जाती है ।

खण्ड 17 पर आज मन्त्री महोदय से बातचीत हुई थी । पहला नियम तो यह था कि यदि कोई कम्पनी अथवा फर्म अपराध करती है तो उसके सभी निदेशक और मैनेजर उत्तरदायी थे मगर यदि वे न्यायालय में अपने को दोषरहित सिद्ध कर पाते हैं तो अपना बचाव कर सकते हैं । नई व्यवस्था के अनुसार कोई फर्म किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नियुक्त कर सकती है जिसे आवश्यक होने पर सजा दी जा सकती है । हमारे देश में जहां व्यापक बेरोजगारी विद्यमान है, वे वहां सेल्जमैन का कार्य करने वाले कर्मचारियों को जबरदस्ती प्रबन्धक नियुक्त कर दिया जाता है । एक मालिक के लड़के ने दुर्घटना कर दी जबकि उसकी जिम्मेदारी चालक पर डाल दी गई जिसे गिरफ्तार कर लिया गया । अब तक प्रबन्धक तथा निदेशक पकड़े जाते थे परन्तु आपने उन्हें बचा दिया है । अमीर व्यक्ति तो न्यायालय में पैरवी कर सकता था परन्तु गरीब आदमी को अत्यन्त कठिनाई पड़ती है ।

खण्ड 2 के अनुसार धान यदि घटिया स्तर का है तो उसमें मिलावट नहीं है परन्तु यदि चावल घटिया स्तर का है तो उसमें अपमिश्रण माना जायेगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि किसी वस्तु को मिलावटी घोषित करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ?

वर्तमान प्रावधान के अनुसार किसी ग्राहक से नमूना लिया जा सकता है लेकिन वर्तमान संशोधन के अन्तर्गत इस प्रकार के नमूने को लेने पर रोक लगायी गयी है । इससे अनेक कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

किसी व्यक्ति से बरामद किये गये नमूने अपराधी व्यक्ति को नहीं दिये जायेंगे । जब सरकार किसी ऐसे अपराधी को आजीवन कारावास का दण्ड दे रही है तो उसे इतना सन्तोष तो होना चाहिये कि उसे कम से कम कुछ तो सुरक्षा प्राप्त है । एक नमूना सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना चाहिये । वर्तमान उपबन्ध के अन्तर्गत सिवाय धारा 1(क) के सभी मामलों में अन्तिम प्रमाण निदेशक समझा जायेगा । रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट अन्तिम मानी जाये या न्यायालय तदनुसार रिपोर्ट पर विचार करें ।

इसके अतिरिक्त एक बात और है । अब समय आ गया है जब हमें विशिष्टियों पर भी ध्यान देन चाहिये । कई ऐसे मामले हुए हैं जहां सरसों का तेल बेचने वाले व्यक्तियों को दोषी पाया गया क्योंकि इसमें अन्य प्रकार के तेल की मिलावट का सन्देह पाया गया जो कि सरसों के तेल से अधिक मूल्यवान पाया गया । हमारे देश में माल तैयार करने के तरीके पूर्ण विकसित नहीं हैं और इसलिए कभी कभी इस तरह की बातें हो जायेंगी जैसे वे लोग, ऐसा बुरे इरादे से नहीं करेंगे । ऐसा हो सकता है कि वे खेतों से वस्तुएं शुद्ध रूप में न ले पायें । मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैंने भी अपना नाम भेजा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं देखा । डा० रानेन सेन का नाम देखा था ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इसके बारे में सचिवालय से पता करें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : डा० रानेन सेन का नाम बहुत पहले भेजा गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था । लेकिन ये बहुत उतावले हैं . . . (व्यवधान) । कृत्य: बैठ जायें । मैं इन्हें बुला लूंगा । इसमें झगड़ने की क्या बात है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जो स्लिव मैंने दिया था, वह कहां गया । कृपया सचिवालय से पता करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री इराजमु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : मन्त्री महोदय इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस विधेयक को पास करने से अपमिश्रण की समस्या हल नहीं होगी क्योंकि हमारे देश में अपमिश्रण की बुराई काफी आगे पहुंच गई है । सरकार को इसके लिये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिये कि उसने विद्यमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक ठोस रूप से कार्यवाही नहीं की है ।

मसालों की समस्या सबसे बड़ी है । कुछ मसाले ऐसे हैं कि जब तक उन्हें पैकटों में ब्रांड के रूप में नहीं रखा जाता तब तक उन्हें बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । यह नहीं है कि इस सम्बन्ध में

समूचे देश पर निगरानी नहीं रखी जा सकती। किन्तु बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले वर्गों पर नियमित रूप से निगरानी रखना तथा निरीक्षित करना सम्भव है और खुदरा तथा थोक बिक्री पर समय समय पर निगरानी रखी जानी चाहिये। निरीक्षकों को यह विधेयक कार्यान्वित करने के लिये निदेश जारी किये जाने चाहिएं। इस अधिनियम की ओर अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

मेरा सुझाव है कि अपमिश्रण पर प्रभावी ढंग से नियन्त्रण करने के लिये सरकार को यह अधिकार अपने हाथ में लेना चाहिये कि वह किसी भी अपमिश्रणकर्ता पर मुकदमा चला सकती है और यद विश्लेषणकर्ता तथा निरीक्षक यह समझते हैं कि किसी वस्तु में अपमिश्रण है तो उस अपमिश्रित उत्पादन को सरकार बाजार से वापस ले सकती है।

यह भी कहा गया है कि क्रय करने वाले व्यक्ति से अपमिश्रित वस्तुएं बरामद की जा सकती हैं। बरामद करने की शक्ति क्रयकर्ता तथा अपमिश्रित वस्तुएं रखने वाले पर भी लागू की जानी चाहिएं। यदि यह शक्ति न दी जाये तो त्रुटि और भी गम्भीर हो जायेगी। अतः इस प्रकार का एक प्रावधान विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। सरकार को खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें। लोग आत्म हत्या के लिये एंड्रिन लेते हैं लेकिन मरते नहीं क्योंकि यह मिलावटी होती है। अतः इसके लिये सख्त सज़ा की व्यवस्था होनी चाहिये। खाद्य पदार्थों तथा उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करने वालों को मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

बड़े बड़े व्यापारी तथा उत्पादक तो बच जाते हैं लेकिन छोटे छोटे दुकानदारों को ही गिरफ्तार किया जाता है ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे मिलावट करने वालों को सख्त सख्त सज़ा दी जा सके।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Mr. Speaker, Sir, I support this amendment. It is now well known that adulterators are the biggest enemies of our people. In order to check their activities it is essential to apply the clauses of this Bill speedily and resolutely.

The evil of adulteration is found only in the Capitalist countries. In the socialist countries everything is available in the purest form.

There is a provision in this Bill for the appointment of a Committee. It is a welcome sign to include the Hotel employees in that Committee. But representatives of the All India Medical Association should also be given a place in that Committee. They will help in checking the adulteration.

I have a suggestion to make. Instead of 3 samples 4 samples should be picked up and they may be tested in 2 separate lavoratories. Adulterators should be given exemplary punishment.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : यह व्यापक विधेयक लाकर मन्त्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस कानून के कार्यान्वयन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

अनेक फर्में केवल मिलावट का सामान बनाती हैं। बहुत से व्यापारी खड़िया मिट्टी पिसवाते हैं या वे लीद से मसाला बनाते हैं। सरकार को सबसे पहले इन लोगों को पकड़ना चाहिये। देश में लोग 35 से 40 वर्ष की आयु के बीच मौत का शिकार हो जाते हैं। इसका कारण मिलावटी खाद्य पदार्थ ही हैं।

प्रत्येक उत्पादन की एक अपनी तकनीक होती है जो बड़ी व्यापक है। इसे इसके मूल में ही नियन्त्रित किया जाना उचित है।

अमरीका में एक खाद्यान्न और औषध प्रशासन है जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे कुछ अधिकारियों को वहां प्रशिक्षण के लिये भेजा जाये या वहां के कुछ अधिकारियों को यहां बुलाया जाये। वे हमारी काफी सहायता कर सकते हैं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। खाद्यान्नों और दवाओं में मिलावट करना जघन्य अपराध है। तमिलनाडु के रामनद जिले में पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े बनाने वाले कारखाने चलते हैं टुकड़े चावल में मिलाये जाते हैं। दवाई, दूध, काफी, चाय और वस्तुत: प्रत्येक वस्तु में मिलावट की जाती है। सरकार को मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिये।

इस समय तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन है। तमिलनाडु के राज्यपाल और कलेक्टरों को निर्देश दिये जायें कि कानून का कड़ाई से पालन किया जाये। कम से कम सजा आठ वर्ष तक की हो और मिलावट करने वालों को तो फांसी पर लटका दिया जाये।

औषध अधिनियम में भी संशोधन किया जाये।

Shri M. C. Daga (Pali): Sir I read a paragraph of your report regarding adulteration:

"It was brought out in a convincing manner that the funds made available for the purpose, whether from the Centre or the States, were hopelessly inadequate. The first three Five Year Plans did not make mention of the Food Adulteration Act."

So you are not equipped with adequate machinery. Laws are implemented not by the Centre but by the States. A mere health inspector getting Rs. 200 per month is vested with the responsibility. He is easily bribed by the shopkeepers. The shopkeepers in turn adopt corrupt methods to make good the loss.

If something adulterated is noticed, the manufacturing factory should be held responsible. Let them prove that they have not manufactured the goods which are injurious to health.

In the end I will suggest that Government machinery should be strengthened more & more if adulteration is to be checked.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह विधेयक सही दिशा में एक सही कदम है। जनमत निश्चय ही इसका समर्थन करेगा। आशा है सरकार विधेयक में निहित विभिन्न वैधानिक और दाण्डिक उपबन्धों के प्रति जनसाधारण की प्रतिक्रिया का लगातार अध्ययन करेगी।

विश्वयुद्ध के बाद और विशेषकर 1945 के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने द्रुतगति से प्रगति की है परन्तु दु:ख की बात यह है कि आत्मिक और चारित्रिक उन्नति उतनी नहीं हुई है। जब विज्ञान और तकनीक की गति आत्मिक विकास की गति से बढ़ जाती है तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। मिलावट उसी का परिणाम है।

इस असामाजिक कार्य और मुनाफाखोरी को मात्र कानून के सहारे समाप्त नहीं किया जा सकता। यह जन-साधारण द्वारा निरन्तर सतर्कता बनाये रखने पर ही समाप्त हो सकता है।

मैं अनुभव करता हूं कि आज न केवल परमाणु युग है बल्कि उदासीनता की भावना भी बल पकड़ चुकी है। लोग इस बारे में चिंतित अवश्य हैं लेकिन इन बुराइयों को समाप्त करने के लिये वे कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार तो एक हद तक ही कार्यवाही कर सकती है लेकिन सतर्क जनता भ्रष्टाचार और मिलावट को रोकने में अत्यन्त सफल सिद्ध हो सकती है।

प्रत्येक क्षेत्र में अपमिश्रण और दूषण व्याप्त है। हम स्वयं मिलावट के अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। खाद्य तथा पेय पदार्थों में मिलावट न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकर है बल्कि यह एक

प्रकार का जहर है जो एक दिन मृत्यु का कारण बनता है। मैं चाहता हूं कि कानून का क्रियान्वयन शीघ्र ही किया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकारें अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके भोले भाले व्यापारियों को परेशान न करें। यदि कोई मिलावट का सच्चा मामला पकड़ा जाता है तो दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले।

स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं तथा जनसेवक लोग समाज के सभी क्षेत्रों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सरकार को चाहिए कि वह अन्य देशों की भांति उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा दे क्योंकि इससे मिलावट को रोकने में सहायता मिलेगी।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं विधेयक के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। परन्तु इस विधेयक में कई दोष हैं।

वर्तमान धारा 11 में यह व्यवस्था है कि खाद्य निरीक्षक द्वारा लिए गए नमूने को तीन भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे नमूना लिया गया है, दूसरा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाएगा और तीसरा सरकारी विश्लेषक को भेजा जाएगा। इस व्यवस्था को इस संशोधन के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। इस प्रावधान को रहने दिया जाना चाहिए ताकि ईमानदार व्यापारियों को तंग न किया जा सके।

दूसरे, 'अपमिश्रक' शब्द की परिभाषा 'कोई भी पदार्थ जिसका प्रयोग अपमिश्रण के लिए किया गया हो' दी गई है। लेकिन 'अपमिश्रण' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि बरफी में चीनी निर्धारित मात्रा से अधिक डाली गयी है तो उसे अपमिश्रक कहा जाएगा। इसलिए मैं समझता हू कि 'अपमिश्रक' शब्द की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले विधेयक में भी यह व्यवस्था है कि अपमिश्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी पदार्थ को कब्जे में लिया जा सकता है।

विधेयक में 'मूल खाद्य' की परिभाषा दी गई है। 'मूल खाद्य' वह खाद्य है जो कृषि या उद्यान-विकास से अपने प्राकृतिक रूप में मिलता है। दो मूल खाद्यान्नों को एक जगह मिलाकर विशेष नाम से बेचा जाए तो वह अपमिश्रण नहीं माना जाएगा। इस विधेयक में यह स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। उत्तरी भारत में केसरी दाल खाने से बहुत से लोग लकवा की बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। यदि इस दाल को उड़द या अरहर की दाल में मिला दिया जाए, तो क्या वह अपमिश्रण के अन्तर्गत नहीं आएगा ?

धारा 17 का जोड़ा जाना भी आलोचना का विषय है। यद्यपि यह एक स्वागत योग्य उपबन्ध है, क्योंकि कुछ मामलों में कम्पनियां भी दंड की भागी होती हैं, परन्तु कम्पनी द्वारा प्रभारी व्यक्ति मनोनीत करने के सिद्धान्त से अनेकों कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी। कम्पनी को इस अधिनियम के अन्तर्गत सजा देने के प्रावधान का प्रारूप आवश्यक वस्तु अधिनियम की तरह तैयार किया जाना चाहिए। यह विधेयक जल्दी में पेश किया गया है। अतः इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मैं विधेयक के उन पहलुओं का स्वागत करता हूं जो देश के हित में हैं।

Shri Ram Hedaoo (Ramtak): I support the Bill which has been moved for the benefit of mankind. Traders are always desirous of earning more and for this they adopt the method of adulteration. This evil should be nipped in the bud. Distributors of foodgrains are responsible for adulteration. It is high time to streamline our machinery; otherwise innocent traders will be put to harassment. Such officials of Municipal Committees should be dealt with severely who accept bribe from shopkeepers and thus induce traders to do adulteration.

A provision should be made to award strict punishment to corrupt officials. There should be a flying squad which may go to any place for inspection.

The persons against whom there are cases of adulteration should not be allowed to defend their case in the Courts. If any adulterated commodity is seized from the Company, the trade mark of that Company should be cancelled.

With these words, I support the Bill.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): The hon. Minister deserves congratulations for moving the Bill for consideration. Adulterators are playiug with the lives of people. No efforts have been made since independence to check adulteration. It is true that a law was made in the year 1954, but it was not properly implemented.

It appears from going through the provisions of the Bill that the Government is determined to root out this evil from the country. But only legislation is not enough to check this evil; public co-operation should also be sought in this matter.

There are three objects of the Bill which are very clear. First, the consumer should be protected; second, innocent traders should not be put to harassment and third, rules and subrules of the Act should be implemented properly and expeditiously.

Adulterators should be given salutory punishment.

In the Bill there is a provision for giving one sample to the public analyst and two to local authority. It would be proper to give one sample to the retailer also.

In the proposed Advisory Committee there would be representatives of Consumers and hotel owners. It should include to representatives of employees also.

It appears from the Bill that there would be a central office in Delhi only. But it would not be enough to have only one Central Food Laboratory. There should be laboratories at the State level and also at the district level.

It is necessary to elicit public co-operation for proper implementation of the provisions of the Bill. For this purpose, co-operation of public organisation should be sought. With these words, I support the Bill.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): I support the Bill whole-heartedly. It is most essential to ensure that adulterators do not play with the lives of the people. The food inspcetors and health inspectors, who are responsible for implementation of this legislation, harass small shop-keepers. The big people who are involved in adulteration are not touched. Steps should be taken to protect small shop keepers particularly in rural areas who are honest.

Every effort should be made to see that Government Machinery should not be used for corrupt practices. Generally we find that a Sanitary inspector drawing Rs. 200/- per month is capable of having a motor cycle only after six months of service.

Government are formulating laws, but they should be implemented with the Co-operation of the people. Public Co-operation for family planning be sought by arousing the people's consciousness. There should be awakening in the villages for such programmes. Heavy penalties should be imposed in all cases of adulteration. I support this Bill.

Shri Chander Shailani (Hathras): I support this Bill and congratulate the hon. Minister for bringing it here. The laboratories would detect adulterations but how could we check the tendency of the people.

It is only possible to check adulterations when the people indulging in such corrupt practice realise that the adulterated foodstuffs affect the health of their fellow beings. It is correct that the laws are not properly implemented.

An inspector of any department, may it be police, sanitary, food or health is a dangerous person. The Government should better change this name.

It is necessary that public opinion and awakening of the people may be brought about in this regard. More money should be set apart for the propaganda. The punishments for adulteration should be made more severe.

Dr. Kailash (Bombay—South): The bill has been brought here after thoughtful discussions in the select committee. There is a small amendment in the original Act. The name of production Manager or manager has been inserted in place of Directors, as the Directors have nothing to do in the matter. In case it is found that even with this Amendment wrong persons are being made to suffer, I shall be the first man to bring forward an Amendment that Directors may be held responsible. In fact the condition of retailers is full of pity, he does not possess even the samples to protect him. I propose that there should be two samples one for the Medical officer and the other with the person whose acticles are to be inspected.

The hon. Minister has framed a Central Advisory Committee for the 'proper implementation of the law. Out of the five representatives one should be from Hotel Industry. I would also request that one representative of Indian Medical Association may also be taken. There are 10 lakh Doctors and if one of their representative is taken it would serve a very good purpose.

An Advisory Committee may also be formed for the Central Food Laboratory. One non-official representative also should be nominated on that laboratory. It would be a good thing.

I am thankful to the hon. Minister for providing for a graded penality. I wish that for its speedy implementation the Government may give directions to the State Governments to start regional laboratories.

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur): I am grateful to the hon. Minister for bringing this Amending Bill.

The people of different categories, viz. Advocates, Urban people and rural masses have their different point of view. Who are the people who play with the lives of masses and push human lives towards death ? Such persons cannot belong to villages. The adulterators wish to become millionaires within weeks. A persons responsible for killing a single person is liable to be hanged, but for these traders who are responsible for killing many a persons the Government has fixed very mild punishment. In case if it is proved in a court of law that somebody is responsible for adulteration, he should not only be hanged publicly but also his entire property be confiscated.

The Government should use the medium of All India Radio to propagate against such persons, who should be named as Traders of Death and enemies of the people.

It is often seen that the samples that are taken are either destroyed or are changed by the Inspector after taking bribe.

The samples are not tested in the laboratories immediately with the result that their poisonous contents can be faded or if it was not poisonous originally it can become poisonous subsequently.

I suggest that in bigger states there should be two laboratories and the smaller states and union territories should have one each.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The hon. Minister deserves praise for taking practical steps in the matter. The provision of life sentence is praise worthy. This power should not be misused. Only the honest men be entrusted with this job. The activities of such persons may be strongly watched even the medical practitioners, indulge in adulteration. The big capitalists are responsible for these activities. Kanpur is the only city where 'Pan Masala' is prepared. If harassment of the makers of 'Pan Masala' is continued the life of 2—3 thousand families would be ruined. When small 'Supari 'packets' made with saccharine can be sold in market what is the harm in the preparing Pan Masala with saccharine.

The hon. Minister may kindly lack into the plight of 2—3 thousand families of Kanpur.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Sagar): The bill before us is a good attempt. The medicines for use in hospitals are sold in market and to patients. Proper accounts of medicines supplied to hospitals throughout India and issued to the patients be maintained.

The family planning drive cannot succeed unless the present attitude of Muslims and also of the men continues.

It is satisfying that the Government has brought a bill to check adulterations. I think if all the Ministers are women the Government would fair better.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I welcome this move. I know that the hon. minister is spiritual and religious person. The adulteration is prevalent in cur country, because religion is discarded in these days. The mass media like radio should be used to propagate anti-adulteration drive.

I suggest that every year a conference of shopkeepers, producer's, wholesalers ar d retailers be held at national, State and village.

There are so many panel sections in our countries but unless the moral standard is not raised the requisite results would not come up.

Right from Inspector to Health Officer are corrupt. During 1920 the leaders used to travel in 3rd class. But new disparity is to be found at every level.

If the political parties stop taking contribution from adulterators then this evil could be checked.

After the Bill is passed, the hon. Minister may call a meeting of the Members to decide the measures that may be taken up for this purpose.

डा० कर्ण सिंह : यह विधेयक अत्यन्त रचनात्मक है । मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूं । विधेयक को व्यापक समर्थन मिला है ।

यह सही है कि अपमिश्रण गरीबी दूर होने पर भी समाप्त हो सकती है । हमारे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीबी दूर करना ही है । पदार्थों की डाक्टरी जांच से पता चल सकता है कि किसी पदार्थ से घातक परिणाम निकलते हैं अथवा नहीं ।

खाद्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार किया जा रहा है; क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता । इस उद्देश्य से ही में राज्यों के स्वास्थ्य मत्रियों का सम्मेलन बुला रहा हूं ।

होटलों पर लाखों व्यक्ति भोजन करते हैं, अतएव एक प्रतिनिधि होटलों से लेने की बात रखी गई है ।

डा० कैलाश ने भारतीय चिकित्सक संघ के प्रतिनिधि के सिम्मिलित किये जाने की बात कही है । स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक ही समिति के चेयरमैन हैं । राज्य सरकारों से भी हम ऐसी ही समितियों की स्थापना करने को कह रहे हैं ।

पहले एक नमूना प्रयोगशालाओं में भेजा जाता था, एक निरीक्षक के पास रहता था तथा एक विक्रेता के पास रहता था । यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो नमूनों को बदल देते हैं । अब यह व्यवस्था की गई है कि विक्रेता और निरीक्षक के पास कोई नमूना नहीं रहेगा ? अब नमूना केवल लैबोरेटरी में तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास भेजा जाता है । यदि विक्रेता को लैबारेटरी की जांच पर आपत्ति है तो इसका नमूना दूसरी लैबारेटरी में भेजा जाता है । इस नई पद्धति द्वारा व्यवस्था में सुधार आयेगा । यदि जनमत दृढ़ हो जाये तो कार्य बन सकता है ।

यदि अपमिश्रण कर्त्ताओं का समाजिक बहिष्कार किया जाये तो मिलावट बन्द हो सकती है । मैं स्वीकार करता हूं कि जो धनी लोग मिलावट करता है, उसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

उपभोक्ताओं का सम्पर्क परचून विक्रेताओं से रहता है, थोक व्यापारियों से नहीं । अतः हम परचून विक्रेताओं को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा लक्ष्य उपभोक्ताओं को बचाना है । इसके

बाद ही थोक व्यापारियों तथा उत्पादकों की ओर हम अपना ध्यान देते हैं । मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि परचून विक्रेता की अपेक्षा थोक व्यापारी को ही पकड़ा जाना चाहिये । लेकिन हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते ।

मैं इस बात से भी पूर्ण सहमत हूं कि जिला परिषदों और पंचायतों को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिये । यह अच्छा सुझाव है । हम इस कार्य के लिये नागरिक परिषदों स्वयंसेवी संगठनों तथा महिला संगठनों का सहयोग भी लेना चाहते हैं । जब अप्रैल में हमारी राज्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी तो हम उन्हें कहेंगे कि वे अधिकाधिक रूप में जन सहयोग प्राप्त करें क्योंकि यदि जनता इसमें अपना पूर्ण सहयोग देगी और प्रत्येक नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी हम इस बुराई को दूर कर पायेंगे ।

खंड 17 को विधेयक में तभी रखा गया जबकि प्रवर समिति ने निदेशकों की इस समस्या के बारे में निश्चित सुझाव दे दिया कि क्या उन्हें दंडनीय समझा जाये अथवा नहीं । अब यह व्यवस्था की गयी है कि एक ओर हम उन निदेशकों को जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें अन्तर्गस्त नहीं होंगे, अनावश्यक रूप से तंग करने से रोकने का प्रयास किया है और दूसरी ओर हमने इस तरह का उपबंध किया है जो कि उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करता । हमारा यह कहना है कि क्योंकि पर्यतन विशेषरूप से बहु-श्रंखलाबद्ध कार्य है; अतः इन एककों को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए ।

यह शंका व्यक्त की गयी है कि फर्मों द्वारा अपने रिकार्ड में प्रबन्धकों के रूप में नकली व्यक्तियों को दर्शा कर उन्हें जेल भेज दिया जायेगा और इस तरह पर्यतन के समुचित उपबंध का दुरुपयोग किया जायेगा कोई भी कानून त्रुटिहीन नहीं हो सकता किन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस पहलूपर विशेष निगरानी रखेंगे और राज्य सर कारों को इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने के लिये कहेंगे और यदि हमें यह पता चलेगा कि फर्मों द्वारा इस उपबंध का दुरुपयोग किया जा रहा तो मैं इस में संशोधन करने वाला पहला व्यक्ति हूंगा ।

यह बात भी कही गई है कि जब आजीवन कारावास दिया जाता है तो फिर निदेशकों की रिपोर्ट के अंतिम रूप में क्यों नहीं लिया जाये ? अब ऐसा नहीं है कि हम रिपोर्ट की प्रामाणिकता के बारे में कुछ पूछें । समिति ने यह महसूस किया कि जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया जा रहा हो, उससे कम से कम इतना अधिकार तो मिलना ही चाहिये कि वह निदेशक से जिरह कर सके । मेरे विचार में इस प्रकार का अवसर देना अनुचित नहीं है ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यदि जिरह के दौरान इसका महत्व कम हो जाये तो क्या होगा ?

डा० कर्ण सिंह : तो निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये यदि यह सिद्ध हो जाये कि वह दोषी है ।

विभिन्न क्षेत्रो के दूध के विभिन्न प्रकार और स्तर की चर्चा भी की गयी है । विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के लिये दूध के विभिन्न प्रकार अथवा स्तर के लिये अपने व्यवस्था की है । दूध के बारे में एक समिति ने विशेष सिफारिश की है । इसके लिये मैं सम्भवतः एक छोटे अध्ययन दल का गठन भी करूंगा । घोड़े की लीद के गर्म मसाले के रूप में बेचने के बारे में सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है ।

धान मूल खाद्य है क्योंकि यह अपने प्राकृतिक रूप में होता है, चावल मूल खाद्य नहीं है क्योंकि इस पर छिलका रहता है । इसमें मानव हस्तक्षेप होता है । दूसरे चावलों में चावलों जैसे दिखने वाले छोटे टुकड़ों को मिला दिया जाता है । अतः हम चावल को मूल उत्पाद मानने की स्थिति में नहीं हैं ।

माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि खाद्य निरीक्षक प्रायः अपमिश्रण करने वालों से मिले रहते हैं । हमारी रिपोर्ट भी यही बताती है कि प्रायः ऐसे मामले होते हैं । जिन खाद्य निरीक्षकों की उनसे किसी तरह की सांठगांठ होगी उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक सरकारी कर्मचारी अपना सहयोग नहीं देगें तो यह अधिनियम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल नहीं होगा । खाद्य निरीक्षकों की बंधी आय अनुशासनहीन तथा भ्रष्टाचार का ही प्रतीक है । हम इस विधेयक द्वारा अनुशासन लाने का भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास करने जा रहे हैं ।

डा० कैलास : खाद्य प्रयोगशालाये अपने परिणाम भेजने में देर करती हैं ।

डा० कर्ण सिंह : हम अपीलीय प्रयोगशालाओं की संख्या एक से बढ़ाकर चार कर रहे हैं । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यों की अपनी प्रयोगशालायें नहीं होनी चाहिये । प्रत्येक राज्य में हम खाद्य और औषधि की अच्छी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहे हैं क्योंकि यदि प्रयोगशालायें विभिन्न प्रकार के तरीके अपनायेगी तो उनके परिणाम भी भिन्न होंगे । अतः परीक्षण प्रयोगशालाओं का मानकीकरण भी अत्याधिक महत्वपूर्ण है ।

कई वस्तुओं का मिश्रण स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं होता जैसे कि ज्वार और गेहूं का मिश्रण (**व्यवधान**) । इसी तरह यदि शुद्ध जल को दूध में मिलाया जाये तो दूध मिलावटी तो होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिये खतरनाक नहीं होता है--(**व्यवधान**) । इस विधेयक के अन्तर्गत दूध भी आता है ।

कहा गया है कि उपभोक्ताओं से नमूना क्यों नहीं लिया जाना चाहिये । समिति ने महसूस किया है कि आखिर गृहणियां ही तो उपभोक्ता हैं । यदि हम खाद्य निरीक्षकों के घरों से नमूने लेने का अधिकार दे दें तो वे किसी के घर में घुसकर किसी को अनावश्यक रूप से तंग करेंगे । समिति ने सोचा है कि इस संभावित दुरुपयोग को रोका जाना बुद्धिमानी है ।

Smt. Sahodra Bai Rai has given two important suggestions. Medicines issued from hospitals should not be misused and if any-body is found misusing them stringent punishment should be awarded to him. I fully agree with her on this point. Second suggestion is that everybody irrespoective of his religion should adopt family planning method I also agree to it.

So far as bringing the Pan Masala under the purview of the Bill is concerned, I would like to say that adulterated Pan Masala would adversely affect the health of our people. That is why we don't want to exempt Pan Masala. So far as the question of mixing of saccharin is concerned, I would ask the Standards Committee to go into it again and advise whether it is a health hazard.

Shri Shrikishan Modi The hon. Minister has just now stated that fourth sample is not necessary as it is likely to be exchanged. Under the rules all the samples remain with the Local Health Officer. What is the harm if the fourth sample is handed over to the business-man ?

Dr. Karan Singh He will exchange his sample and deny at the time of enquiry.

Shri Sat Pal Kapur My suggestion is that the fourth sample should remain with the Distt. Magistrate as the Health Officer is supposed to be corrupt.

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने देश में उपभोक्ता आन्दोलन की आवश्यकता पर ग्रोर दिया है । यह ठीक है । मंत्री महोदय बतायें कि सरकार इस आन्दोलन को आगे आने में क्या सहायता कर सकती है।

डा० कर्ण सिंह : इस विधेयक के अन्तर्गत हम पांच सदस्यों की वृद्धि कर रहे हैं । हम उपभोक्ता स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल करेंगे और हम राज्यों को कानून को लागु करने में इन संगठनों को शामिल करने के लिए अनुरोध करेंगे ।

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर , राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं । खण्ड 2 पर कुछ संशोधन हैं ।

श्री भारत सिंह चौहान : मैं संशोधन संख्या 13 और 14 पेश करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा मैं संशोधन संख्या 17, 18 और 20 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : : संशोधन सख्या 29 पेश करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : मूल खाद्य, जो प्राकृतिक कारणों से घटिया स्तर का हो जाता है और जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है, इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आयेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह के खाद्य "अधिमिश्रण" नहीं है और वे तकनीकी" कारणों से घटिया स्तर के हो गये हैं तो ऐसे मूल खाद्यों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिये ।

Shri Ramavatar Shastri: I want to add another proviso to clause 2 which says that the infestation in primary food is due to natural causes like dampness and the presence of imperceptible in sects, the said article should not be deemed to be adulterated.

This will be a safeguard against the abuse of the provisions of this Bill.

Shri Bharat Singh Chowhan where the quality or purity of an article being a primary food falls below the prescribed standard on account of natural causes, such articles have been given protection under this Bill. In order to ensure that the persons handling such primary foods like paddy are not harassed the word 'technical' should also be added in the clause.

डा० कर्ण सिंह : हमने विधेयक में इस आशय का एक विशेष उपबन्ध किया है कि यदि प्राकृतिक कारणों से जो मानव के नियंत्रण से परे हैं, कुछ वस्तुएं घटिया स्तर की हो जाती हैं तो उन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जायेगा । "तकनीकी" शब्द को जोड़ना बहुत खतरनाक होगा क्योंकि तकनीकी कठिनाई के बहाने से दोषी व्यक्ति अपना बचाव करने का प्रयास करेगा ।

सभापति महोदय : : अब मैं संशोधन संख्या 13, 14, 17, 18, 20 और 29 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रख गए और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 1, 2 और 3 पेश करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 21 पेश करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri: In the Advisory Committee, the number of Hotel industry representatives should be raised to two and one representative of workers should also be included in it. One representative of All India Medical Association, who has been an expert and keenly interested in the matter, should be associated with it. Lastly, it should also include one representative of retailers. There are associations of small shopkeepers and their representative must be included in it.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। इस समिति में 44 सदस्य होंगे। समिति के अध्यक्ष होंगे स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, जो एक डाक्टर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है क्योंकि 5 डाक्टर भी समिति के सदस्य हैं। होटल कर्मचारी अपने अपने संस्थानों में ही काम करें तो अच्छा है। सैन्ट्रल फूड स्टेण्डर्ड कमेटी (केन्द्रीय खाद्य मानकीकरण समिति) में उनके लिये कोई विशेष कार्य नहीं है। फिर भी उनके लिये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक प्रतिनिधि कृषि, वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।

सभापति महोदय द्वारा खण्ड 3 में संशोधन संख्या 1, 2, 3, 21 और 30 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 1, 2, 3, 21 and 30 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खड 4

श्री मूल चन्द डागा: मैं अपना संशोधन संख्या 22 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय ,द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 22 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 15 और 16 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 15 और 16 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 4, 15 and 16 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक म जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन सख्या 23 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 और 23 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 5 and 23 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ा दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 6 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment no. 6 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 25 पेश करता हूं

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment no. 25 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 *was added to the Bill.*

खण्ड 12

श्री रामावतार शास्त्री : : मैं संशोधन संख्या 7, 8, 9, 10 और 11 पेश करता हूं।

The Minister and all other speakers have said that adulteration is anti-national and anti-people, but you have provided for only six months imprisonment. It should be raised to at least one year.

Dr. Karan Singh: Through this Bill we have advanced too much. It is the minimum punishment which has been fixed for six months otherwise maximum punishment can be more than this period. Therefore, it is better to retain this provision.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 से 11 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments nos. 7 to 11 *were put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 *was added to the Bill.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 और 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 13 *and* 14 *were added to the Bill.*

खण्ड 15

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 12 पेश करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 12 *was put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 से 22 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 16 to 22 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० कर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता । अपमिश्रण एक राष्ट्रीय बुराई और सामाजिक अपराध है जिसे अवश्य दूर किया जाना चाहिये । हमें उन कारणों का पता लगाना चाहिये जिनसे इन बुराइयों का जन्म होता है । मेरे विचार से इसका मुख्य कारण समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त भारी विषमता है । कुछ लोग अत्यन्त धनवान हैं और कुछ बहुत ही गरीब हैं । लोगों में एक रात के अन्दर धनवान बनने की लालसा है । धनी लोग और धनी बनना चाहते हैं । सामाजिक क्रान्ति लाये बिना हम इन बुराइयों से छुटकारा नहीं पा सकते ।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

सरकार को इस बुराई को दूर करने के लिए विधेयक में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त भी काफी सोच-विचार कर उपाय करने चाहियें। जिन कारखानों में डालडा, सरसों का तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैं वहां उत्पादन के सभी स्तरों तथा थोक विक्रय और खुदरा विक्रय स्तरों पर भी चौकसी रखनी चाहिये। मंत्री महोदय को अपने मंत्रालय में गुप्तचर सेल बनाना चाहिये। इस बात का ध्यान रखा जाये कि प्रवर्तन अधिकारियों और अपमिश्रणकर्ताओं के बीच साठ-गांठ न होने पाये। जो कर्मचारी ऐसा करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

इस कार्य के लिये हमें बड़े पैमाने पर जनता का सहयोग चाहिये। इसलिये कृषक-सभाओं, विद्यार्थी संगठनों, कार्मिक संघों तथा स्वंसेवी संगठनों का सहयोग लेना चाहिये।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : मैं केवल उन दो बातों के बारे में चर्चा करूंगा जिनके बारे में सदस्यों ने कम ही कहा है।

विधयक में कहा गया है कि यदि खाद्यान्न का स्तर ऐसे कारणों की वजह से गिर गया हो जो कि हमारे देश में नहीं है और जो स्वास्थ्य के लिये अहितकर हों तो ऐसे खाद्यान्न जब तक अपने प्राकृतिक रूप में हैं, इस अधिनियम के दंडनीय उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। धान से चावल बनता है तो क्या चावल, जो अपने प्राकृतिक रूप में नहीं है, दंडनीय उपबन्धों के अन्तर्गत आयेगा। ऐसा लगता है कि कुछ त्रुटि रह गई है। अतः संगत उपबन्ध में संशोधन करके इसे दूर किया जाये।

किसी विशेष राज्य में जलवायु सम्बन्धी कारणों से कोई अनाज घटिया किस्म का हो सकता है। सरकार इस बात को कैसे सुनिश्चित करेगी कि उस विशिष्ट राज्य के विशिष्ट खाद्यान्न को दी गई रियायत का अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग न होने पाये।

मैं विधेयक की अच्छी बातों की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह चाहता हूं कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाये।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): Sir, I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. The adulteration has made hell of the lives of people. It is a heinous crime. Adulterators should be severely punished. No mercy should be shown to these people who play havoc with the lives of the Common man. They should be shot at in public.

In this Bill a provision has been made in regard to Food Inspectors. It is my suggestion that the samples which are to be given to Health Officers should instead be given to district officials. I have personal experience that Health Officers indulge in corruption. The Health Department awards those people who help in the implementation of family Planning programme; the person who informs about the dowry being given or taken are also awarded Rs. 100/-. Similar awards should be given to persons who provide information about adulterators.

But I shall emphasise the point that adulteration is a necessary evil of capitalist Society.

Dr. Kailas (Bombay—South): Mr. Speaker, Sir, I want to make a few suggestions.

The Director General of Health Services should convene a Conference of Civil Surgeons and Medical Officers of Municipal Committees at the State level to solicit their Cooperation in the implementation of this Bill.

The Government should take the help of Bharat Sewak Samaj and other voluntary organisations for this purpose.

The Minister should also tell us as to when 4 appellate food laboratories will be started.

Dr. Karan Singh: Sir, Mr. Halder has repeated the suggestion made by Dr. Saradish Rai that this evil can not be eliminated unless there is Social revolution. We differ with the definition spelt out by Shri Halder. In the present atmosphere we can play more positive role.

It has been said that health services should be given top priority. Unfortunately this was not done earlier. Now it is our endeavour to expand health services as much as possible.

Paddy is in natural form. It has, therefore, been excluded from the purview of the Bill. There was possibility of adulteration in rice. Rice therefore, can not be excluded. Wheat has been excluded but wheat flour will attract the attention of the Bill.

So far as the question of there being different Standards of eatables in different States are concerned it will be our effort to have a uniform standard in different States.

No mercy has been shown to adulterators. We have provided for life imprisonment. If even with this punishment the situation does not improve the question of making this law more stringent will be considered.

The suggestion for rewarding those who give information about adulterators is a good one. It shall be placed before the conference of State Health Ministers to be held in April.

I agree with the suggestion made by Dr. Kailas that help should be sought of voluntary organisations. We want to open for appellate laboratories as soon as possible.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : सभा अब अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

GMGIPND--LS--III--402 (ai) LS. 29.6.76-200

म० प्र० भा० स० मु० मि० रोड न० दि०--लो० स० --III-402-एल० एस०-29-6-76-200

P.L.S. 48, LVII 22. 76 (N)
200

©1976 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1976 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.